



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक संवत्) [संख्या 30

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

| विषय                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा | विषय                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य                                                                                                                                                                             |              | रु०           |                                                                                                                                                                                                                              |              | रु०           |
| भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस                                                                                                     | 391—402      | 3075          | भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                                                         | ...          | 975           |
| भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया                                     | 509—556      | 1500          | भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये<br>(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट<br>क—भारतीय संसद के ऐक्ट                                                              | ...          | 975           |
| भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                   |              |               | भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये                                                                                                                                       |              |               |
| भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय                                                                                                                                                          |              |               | (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट                                                                                                                                                                                              |              |               |
| भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण | ...          | 975           | भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट<br>भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां                                                                                             | ...          | 975           |
| भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत                                                                                                   | ...          | 975           | भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि | 1499-1534    | 975           |
| भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश                                                                                                                                                         | 689—692      | 975           | स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र                                                                                                                                                                                          | ...          | 1425          |

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**आवास एवं शहरी नियोजन विभाग**

अनुभाग-8

अधिसूचना

15 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/520816/2024—चूंकि राज्य सरकार हापुड़ पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत पिलखुवा महायोजना-2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र “अमर उजाला” तथा “हिन्दुस्तान” के संस्करण में क्रमशः दिनांक 24 जनवरी, 2024 व 25 जनवरी, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, हापुड़ पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत पिलखुवा महायोजना-2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं —

**अनुसूची**

| क्रम सं0 | ग्राम का नाम       | खसरा संख्या | कुल क्षेत्रफल | पिलखुवा महायोजना-2021 के अनुसार भू-उपयोग | परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग | पूर्व में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रेषित क्षेत्रफल | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल |
|----------|--------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                  | 3           | 4             | 5                                        | 6                                 | 7                                                  | 8                                           |
|          |                    | हेक्टेयर—   |               |                                          |                                   | हेक्टेयर—                                          | हेक्टेयर—                                   |
| 1        | खैरपुर             | 20          | 1.3590        | कृषि                                     | औद्यागिक                          | 1.2338                                             | 1.2038                                      |
| 2        | खैराबाद            | 21          | 0.0275        | कृषि                                     | औद्यागिक                          | —                                                  | 0.0275                                      |
| 3        | तहसील धौलाना, जिला | 22          | 1.1090        | कृषि                                     | औद्यागिक                          | 0.6670                                             | 0.6670                                      |
| 4        | हापुड़             | 23          | 1.3410        | कृषि                                     | औद्यागिक                          | 1.2930                                             | 1.2930                                      |
| 5        |                    | 24          | 1.0880        | कृषि                                     | औद्यागिक                          | 1.0586                                             | 1.0586                                      |
|          | <b>योग.</b>        |             | <b>4.9245</b> |                                          |                                   | <b>4.2524</b>                                      | <b>4.2499</b>                               |

प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा-संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

28 जून, 2024 ई0

सं0 I/678714/2024—चूंकि राज्य सरकार हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ महायोजना-2005 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र “दैनिक जागरण” एवं “नवभारत टाइम्स” के संस्करण में क्रमशः दिनांक 14 फरवरी, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएव अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ महायोजना-2005 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

## अनुसूची

| क्रम सं0 | ग्राम का नाम | तहसील एवं जिला | खसरा संख्या | क्षेत्रफल                                                                                                                 | हापुड़ महायोजना 2005 के अनुसार भू-उपयोग | प्रस्तावित भू-उपयोग              |
|----------|--------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2            | 3              | 4           | 5                                                                                                                         | 6                                       | 7                                |
| हेक्टेयर |              |                |             |                                                                                                                           |                                         |                                  |
| 1        | वदनौली       | हापुड़         | 416         | 0.7421 हेक्टेयर (क्षेत्रफल 0.8820 हे0 में से महायोजना मार्ग व हरित पट्टी की चौड़ाई को छोड़कर शेष भूमि 0.7421 हे0 भूमि का) | कृषि                                    | औद्योगिक (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम) |

प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा-संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

02 जुलाई, 2024 ई0

सं0 LVC-91/आठ-8-2024-8-8099/3246/2020—चूंकि राज्य सरकार आजमगढ़ विकास क्षेत्रान्तर्गत आजमगढ़ महायोजना-1985-2011 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र “दैनिक जागरण” एवं “अमर उजाला” के संस्करण में दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, आजमगढ़ विकास क्षेत्रान्तर्गत आजमगढ़ महायोजना-1985-2011 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

## अनुसूची

| क्रम सं० | गाटा संख्या | क्षेत्रफल (1985-2011)<br>में भू-उपयोग | आजमगढ़<br>महायोजना | प्रस्तावित भू-उपयोग                |
|----------|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1        | 2           | 3                                     | 4                  | 5                                  |
| 1.       | 199         | 0.183 हेक्टेयर                        | कृषि               | सार्वजनिक सुविधाएं एवं<br>उपयोगिता |
| योग .    |             | 0.183                                 |                    |                                    |

प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा-संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

03 जुलाई, 2024 ई०

सं० I/679735/2024—चूंकि राज्य सरकार मुजफ्फरनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर महायोजना-2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों “अमर उजाला” एवं “हिन्दुस्तान” के संस्करण में दिनांक 23 मार्च, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन श्री राज्यपाल, मुजफ्फरनगर विकास क्षेत्रान्तर्गत, मुजफ्फरनगर महायोजना-2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

## अनुसूची

| क्रम सं० | ग्राम                      | खसरा संख्या | क्षेत्रफल                                                                                        | मुजफ्फरनगर<br>महायोजना-<br>2021 | प्रस्तावित भू-उपयोग                                      |
|----------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3           | 4                                                                                                | 5                               | 6                                                        |
| 1.       | बिलासपुर (परगना तहसील सदर) | 05 मि०      | 1.46 हे० (मार्ग के मध्य से 37.5 मीटर मार्गाधिकार छोड़ने के पश्चात शेष भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन) | आवासीय                          | “यातायात एवं परिवहन” (कार्यशाला/सैटेलाइट बस स्टेशन किया) |

12 जुलाई, 2024 ई0

सं0 I/689793/2024—चूंकि राज्य सरकार कानपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत कानपुर महायोजना-2021 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र “अमर उजाला” एवं “हिन्दुस्तान” के संस्करण में क्रमशः दिनांक 07 अप्रैल, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, कानपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत कानपुर महायोजना-2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

## अनुसूची

| क्रम सं0  | भूमि का विवरण                                                      | भूमि का क्षेत्रफल | कानपुर महायोजना 2021 के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग | प्रस्तावित भू-उपयोग             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                 | 4                                               | 5                               |
| वर्गमीटर— |                                                                    |                   |                                                 |                                 |
| 1         | बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, ग्राम घुसरामऊ, आराजी संख्या-207 का जुज भाग | 32300.76          | पार्क                                           | स्पोर्ट्स काम्पलेक्स / स्टेडियम |
| 2         | आराजी संख्या-251 ग्राम घुसरामऊ का जुज भाग                          | 40608.11          | वाटर वर्क्स                                     | पार्क                           |

प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा-संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

18 जुलाई, 2024 ई0

सं0 I/690432/2024—चूंकि राज्य सरकार हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ महायोजना-2005 में संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र “दैनिक जागरण” एवं “अमर उजाला” के संस्करण में क्रमशः दिनांक 04 फरवरी, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम,

1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत हापुड़ महायोजना-2005 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्रम सं० | ग्राम का नाम | तहसील एवं जिला | खसरा संख्या               | क्षेत्रफल                                                                                                            | हापुड़ महायोजना 2005 के अनुसार भू-उपयोग | प्रस्तावित भू-उपयोग              |
|----------|--------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2            | 3              | 4                         | 5                                                                                                                    | 6                                       | 7                                |
| 1        | धीरखेडा      | मेरठ           | 794, 795, 796 एवं 797 / 1 | 1.0690 (क्षेत्रफल हेक्टेयर 1.5630 हे० में से महायोजना मार्ग व हरित पट्टी की चौड़ाई को छोड़कर शेष भूमि 1.0690 हे० का) | कृषि                                    | औद्योगिक (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम) |

प्रश्नगत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त शासन की अधिसूचना संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (यथा संशोधित) द्वारा जारी उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 (यथा-संशोधित) एवं सुसंगत नियमों, शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

आज्ञा से,  
डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव।

01 अगस्त, 2024 ई०

सं० I/705948/2024—चूंकि बाराबंकी की महायोजना-2021 में निम्नलिखित संशोधनों के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की सूचना दैनिक समाचार पत्र “दैनिक जागरण” व “अमर उजाला” में दिनांक 17 मार्च, 2024 के अंक में प्रकाशित की गयी थी।

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतः प्रकरण में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में समित के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिसूचना, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-34 सन् 1958) की धारा-14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन निदेश 1960 के पैरा-10ख के उप पैरा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में बाराबंकी की महायोजना-2021 में राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार शुल्क की देयता एवं आवेदक द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास स्वयं किये जाने की शर्त पर निम्नलिखित संशोधन गजट में प्रकाशित किये जायेंगे। महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी कार्य दिवस में जिलाधिकारी, बाराबंकी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## अनुसूची

| क्रम सं० | कम्पनी का नाम                  | ग्राम एवं जनपद    | खसरा नं० | रकबा      | बाराबंकी महायोजना- 2021 वर्तमान में भू-उपयोग | परिवर्तित भू-उपयोग |
|----------|--------------------------------|-------------------|----------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                              | 3                 | 4        | 5         | 6                                            | 7                  |
|          |                                |                   |          | हेक्टेयर— |                                              |                    |
| 1        | जेद निर्माण प्राइवेट लिमिटेड   | धरसनिया, बाराबंकी | 247      | 0.418     | कृषक                                         | आवासीय             |
| 2        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 231      | 0.068     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 3        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 233      | 0.068     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 4        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 188 मि०  | 0.100     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 5        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 206      | 0.38      | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 6        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 208      | 0.34      | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 7        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 209      | 0.0955    | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 8        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 220      | 0.133     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 9        | “तदैव”                         | “तदैव”            | 221      | 0.111     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 10       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 210      | 0.258     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 11       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 213      | 0.068     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 12       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 216      | 0.372     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 13       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 219 मि०  | 0.668     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 14       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 223      | 0.36      | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 15       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 224      | 0.332     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 16       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 226      | 0.318     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 17       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 225      | 0.32      | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 18       | एफिल इन्फ्राडेवलपर्स प्रा० लि० | “तदैव”            | 232      | 0.135     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 19       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 228      | 0.177     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 20       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 228 मि०  | 0.7728    | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 21       | जेद निर्माण प्राइवेट लिमिटेड   | सरथरा, बाराबंकी   | 620      | 0.11375   | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 22       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 577      | 0.114     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 23       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 578      | 0.134     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 24       | तिलक चन्द्र बौद्ध              | “तदैव”            | 625      | 0.198     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |
| 25       | “तदैव”                         | “तदैव”            | 579      | 0.252     | “तदैव”                                       | “तदैव”             |

| 1  | 2                                  | 3                 | 4         | 5         | 6      | 7          |
|----|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------------|
|    |                                    |                   |           | हेक्टेयर— |        |            |
| 26 | तिलक चन्द्र बौद्ध                  | “तदैव”            | 589       | 0.041     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 27 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 620       | 0.3412    | “तदैव” | “तदैव”     |
| 28 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 621       | 0.2275    | “तदैव” | “तदैव”     |
| 29 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 622       | 0.011     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 30 | प्रथा कान्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लि0 | “तदैव”            | 621       | 0.2275    | “तदैव” | “तदैव”     |
| 31 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 580       | 0.142     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 32 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 587       | 0.532     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 33 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 588       | 0.547     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 34 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 624       | 0.582     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 35 | “तदैव”                             | भूहेरा, बाराबंकी  | 425       | 0.920     | “तदैव” | “तदैव”     |
| 36 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 424 मि0   | 0.056     | “तदैव” | “तदैव”     |
|    |                                    |                   | 424 मि0   |           |        |            |
| 37 | “तदैव”                             | “तदैव”            | 426       | 0.234     | “तदैव” | “तदैव”     |
|    |                                    |                   | योग .     | 10.16725  |        |            |
| 1  | एफिल इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0      | धरसनिया, बाराबंकी | 228 मि0   | 0.2222    | “तदैव” | व्यावसायिक |
|    |                                    |                   | कुल योग . | 10.38945  |        |            |

सत्येन्द्र कुमार  
जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,  
विनियमित क्षेत्र, बाराबंकी।

07 अगस्त, 2024 ई0

सं0 I/1049940/2024—चूंकि राज्य सरकार मेरठ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मेरठ महायोजना-2031 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार-पत्रों “हिन्दुस्तान” व “दैनिक जागरण” के संस्करण में दिनांक 23 मार्च, 2025 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल

निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने इत्यादि की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, मेरठ विकास क्षेत्रान्तर्गत मेरठ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्र० सं० | ग्राम, तहसील व जिला का नाम      | खसरा संख्या | क्षेत्रफल       | मेरठ महायोजना 2031 के (पुनरीक्षित) अनुसार भू-उपयोग | परिवर्तित भू-उपयोग      |
|----------|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                               | 3           | 4               | 5                                                  | 6                       |
| 1        | खरदौनी शेखूपुर, लावड रोड, मेरठ। | 1371        | 1.1076 हेक्टेयर | कृषि                                               | औद्योगिक (प्रदूषण रहित) |

08 जनवरी, 2025 ई0

सं० I/842212/2025—चूंकि राज्य सरकार हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत हापुड़ महायोजना-2031 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार-पत्रों “दैनिक जागरण” एवं “राष्ट्रीय सहारा” के संस्करण में दिनांक 09 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम)-1974 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश, नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार शुल्क की देयता तथा भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने इत्यादि की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल हापुड़-पिलखुवा विकास क्षेत्रान्तर्गत, हापुड़ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्र० सं० | ग्राम का नाम                  | तहसील व जनपद का नाम | खसरा संख्या | कुल क्षेत्रफल   | हापुड़-पिलखुवा महायोजना-2031 के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग | परिवर्तित भू-उपयोग |
|----------|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                             | 3                   | 4           | 5               | 6                                                       | 7                  |
| 1        | ग्राम चक्रसैनपुर उर्फ बाबूगढ़ | हापुड़              | 655 व 656   | 0.5940 हेक्टेयर | हाईवे फौसिलिटी जोन                                      | औद्योगिक           |

आज्ञा से,  
(ह०) अस्पष्ट  
प्रमुख सचिव।

28 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/945855/2025—चूंकि राज्य सरकार ने जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी के अंतर्गत महाराजगंज महायोजना-2021 के संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय “प्रमुख समाचार-पत्र दैनिक जागरण” के संस्करण में दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 एवं अमर उजाला के संस्करण में दिनांक 22 दिसम्बर, 2024 को प्रकाशित करायी गयी थी, और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा-19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी किये गये उत्तर प्रदेश, निर्माण विनियमन निदेश 1960 के निदेश 10 (ख) के उपनिदेश (7) के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन की अंतिम अधिसूचना निर्गत किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

महायोजना में किये गये उक्त संशोधनों की प्रति किसी भी कार्य दिवस में नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, जनपद-महाराजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

## अनुसूची

| क्र0<br>सं0 | ग्राम का<br>नाम | तहसील व जनपद<br>का नाम      | आराजी<br>सं0 | रकबा   | महाराजगंज महायोजना-<br>2021 के अनुसार<br>वर्तमान भू-उपयोग | परिवर्तित<br>उपयोग                                          |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.          | 2               | 3                           | 4            | 5      | 6                                                         | 7                                                           |
| हेक्टेयर—   |                 |                             |              |        |                                                           |                                                             |
| 1.          | महुंअवा         | तहसील सदर<br>जनपद-महाराजगंज | 21           | 0.4780 | कृषिगत                                                    | मेडिकल कालेज<br>(सार्वजनिक एवं<br>अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं) |
| 2.          | महुंअवा         | “तदैव”                      | 22           | 0.4050 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 3.          | रुद्रापुर       | “तदैव”                      | 413          | 0.0280 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 4.          | “तदैव”          | “तदैव”                      | 414          | 0.1616 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 5.          | “तदैव”          | “तदैव”                      | 415          | 0.1400 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 6.          | “तदैव”          | “तदैव”                      | 416          | 0.2170 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 7.          | “तदैव”          | “तदैव”                      | 417          | 0.2050 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |
| 8.          | “तदैव”          | “तदैव”                      | 318          | 0.8090 | “तदैव”                                                    | “तदैव”                                                      |

अनुनय झा,  
जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,  
विनियमित क्षेत्र, जनपद महाराजगंज।

19 जुलाई, 2025 ई0

सं0 I/1030904/2025—चूंकि राज्य सरकार लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों “अमर उजाला (हिन्दी)” एवं “द इण्डियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी) के संस्करण में दिनांक 16.05.2025 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और चूँकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने एवं प्रश्नगत भू-खण्ड ले-आउट का भाग है, अतः महायोजना में संशोधन के उपरान्त ले-आउट में भी नियमानुसार संशोधन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड द्वारा किये जाने की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, लखनऊ विकास क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ महायोजना-2031 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्र०<br>सं० | ग्राम/जनपद का नाम                                      | खसरा/<br>भू-खण्ड संख्या | क्षेत्रफल | लखनऊ महायोजना 2031 के<br>(पुनरीक्षित) के अनुसार भू-<br>उपयोग | परिवर्तित<br>भू-उपयोग |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1           | 2                                                      | 3                       | 4         | 5                                                            | 6                     |
|             |                                                        |                         | वर्गफिट—  |                                                              |                       |
| 1           | मिल रोड पर स्थित ऐशबाग<br>इण्डस्ट्रियल योजना,<br>लखनऊ। | 68बी                    | 20,747    | औद्योगिक                                                     | मिश्रित               |
|             |                                                        | 68सी                    | 39,003    | "                                                            | भू-उपयोग              |
|             |                                                        | 68एफ                    | 19,142    | "                                                            | "                     |
|             |                                                        | 68जी                    | 25,243    | "                                                            | "                     |
|             |                                                        | 68जे                    | 20,970    | "                                                            | "                     |
|             |                                                        | 68 के                   | 17,131    | "                                                            | "                     |
|             |                                                        | 68/6                    | 50,555    | "                                                            | "                     |
|             |                                                        | योग.                    | 1,92,791  | वर्गफिट अथवा 1.79 हे०                                        |                       |

29 जुलाई, 2025 ई0

सं० I/1041317/2025—चूँकि राज्य सरकार गाजियाबाद विकास क्षेत्र के अन्तर्गत गाजियाबाद महायोजना-2021 में संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना स्थानीय 02 समाचार पत्रों "नवभारत टाइम्स" एवं "दैनिक अथाह" के संस्करण में दिनांक 04 फरवरी, 2025 को प्रकाशित करायी गयी थी और उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर जन सामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये। इसलिए समिति के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)-1974 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन शक्ति

का प्रयोग करके वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश, नगर योजना एवं विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भू-स्वामी द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का विकास जल निकासी व सीवरेज आदि की व्यवस्था व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानानुसार पहुंच मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की शर्त के साथ ही संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में श्री राज्यपाल, गाजियाबाद विकास क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद महायोजना-2021 में अनुसूची में उल्लिखित खसरा संख्या में सम्मुख अंकित भू-प्रयोग हेतु निम्नानुसार संशोधन करते हैं—

### अनुसूची

| क्र०<br>सं० | गाटा<br>संख्या | ग्राम का<br>नाम | तहसील व<br>जनपद का नाम | क्षेत्रफल          | गाजियाबाद महायोजना-2021<br>के अनुसार वर्तमान भू-उपयोग | परिवर्तित<br>भू-उपयोग                       |
|-------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1           | 2              | 3               | 4                      | 5                  | 6                                                     | 7                                           |
| 1           | 773 मि०        | डासना           | गाजियाबाद              | 0.7683<br>हेक्टेयर | कृषि                                                  | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-<br>सार्वजनिक सुविधाएं |

आज्ञा से,  
पी० गुरुप्रसाद,  
प्रमुख सचिव।

### सचिवालय प्रशासन विभाग

#### अधिष्ठान

अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

16 जनवरी, 2026 ई०

सं० I/1207628/2026-20-2001/280/2020-श्री राम प्रकाश, निजी सचिव श्रेणी-1, उ०प्र० सचिवालय सेवा द्वारा शासकीय अभिलेखों में अपने नाम के साथ उपनाम "चौधरी" शब्द प्रयोग किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-श्री राम प्रकाश, निजी सचिव श्रेणी-1, उ०प्र० सचिवालय सेवा द्वारा किये गये उक्त अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम प्रकाश, निजी सचिव को उनके नाम के साथ उपनाम "चौधरी" शब्द प्रयोग किये जाने की अनुमति एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3-समस्त शासकीय अभिलेखों में उक्तानुसार नाम अंकित किये जायें।

आज्ञा से,  
आर० पी० सिंह,  
संयुक्त सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

#### AMENDMENT (Admin. 'G-I') SECTION

#### NOTIFICATION

*April 29, 2026*

**No. 367/VIIIc, Allahabad– Correction Slip No. 278-** In exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following amendment in the Allahabad High Court Rules, 1952 Volume-I, which shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

#### The Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2026

#### 1. Short title & Commencement.-

(1)- These rules may be called the Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2026.

(2)- These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of the Government.

**2. Definition.-** In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Rules, 1952.

**3. Substitution of Rule 3 of Chapter XXIV.-** The existing provision of Rule 3, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', as set out in Column-I shall be substituted with Column-II as follows:

| COLUMN-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLUMN-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existing Rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rule as here by substituted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>3. Permanent Committee for designation of Senior Advocates:-</b> (1) All the matters relating to designation of Senior Advocates in the High Court shall be dealt with by the Permanent Committee, which will be headed by the Chief Justice and consist of the two Senior-most Judges of the High Court; (ii) the Advocate General of the State of Uttar Pradesh; and (iii) a designated Senior Advocate of the Bar to be nominated by the members of the Committee.</p> <p>(2) The Committee constituted under sub-rule (1) shall have a Secretariat, the composition of which will be decided by the Chief Justice of the High Court, in consultation with other members of the Committee.</p> <p>(3) The Committee may issue such directions from time to time as deemed necessary regarding functioning of the Secretariat, including the manner in which, and the source/s from which, the necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be collected, compiled and presented.</p> | <p><b>3. Permanent Committee for designation of Senior Advocates:-</b> (1) All matters relating to designation of Senior Advocates in the High Court shall be dealt with by the Permanent Committee, which shall be headed by the Chief Justice and consist of two of the senior-most Judges of the High Court, one of whom shall be the Senior Judge at Lucknow.</p> <p>(2) The Committee constituted under sub-rule (1) shall have a Secretariat, the composition of which will be decided by the Chief Justice of the High Court, in consultation with other members of the Committee.</p> <p>(3) The Committee may issue such directions from time to time as deemed necessary regarding functioning of the the Secretariat, including the manner in which, and the sources/s from which, the necessary data and information with regard to designation of Senior Advocates are to be collected, compiled and presented.</p> |

**4. Substitution of Rule 4 of Chapter XXIV.-** The existing provision of Rule 4, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', as set out in Column-I shall be substituted with Column-II as follows:

| COLUMN-1                                                                                                                                                                                                                                                        | COLUMN-2                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existing Rule                                                                                                                                                                                                                                                   | Rule as here by substituted                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>4. Designation of an Advocate as Senior Advocate:</b> (1) The High Court may designate an Advocate as a Senior Advocate, if in its opinion, by virtue of his/her ability and standing at the Bar, the said Advocate is deserving of such distinction.</p> | <p><b>4. Eligibility for Designation as Senior Advocate:</b> (1) The High Court may designate an Advocate as a Senior Advocate, if in its opinion, by virtue of his/her ability and standing at the Bar, the said Advocate is deserving of such distinction.</p> |

| COLUMN-1<br>Existing Rule                                                                                                                                                                                                                           | COLUMN-2<br>Rule as here by substituted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Explanation: The term "standing at the Bar" means position of eminence attained by an Advocate at the Bar by virtue of his/her seniority, legal acumen, and and high ethical standards maintained by him, both inside and outside the Court.</p> | <p>Explanation: The term "standing at the Bar" means position of eminence attained by an Advocate at the Bar by virtue of his/her <b>professional attainment, expertise, knowledge of law</b> and high ethical standards maintained by him, both inside and outside the Court.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>(2) An advocate who has put in at least ten years of actual practice as an advocate shall be eligible to be designated as Senior Advocate.</p>                                                                                                   | <p>(2) An Advocate shall be eligible to be designated as Senior Advocate if he/she—</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Provided that a retired Judge of any High Court, who is qualified to practice in the Allahabad High Court may also be recommended for being designated.</p>                                                                                      | <p>(a) has completed at least ten years' standing as an Advocate;</p> <p>or</p> <p>(b) has completed ten years' combined standing as an Advocate and as a District and Sessions Judge or Judicial Member of any Tribunal in India, whose qualification for appointment is not less than that prescribed for appointment as District Judge;</p> <p>(c) practices mainly at High Court;</p> <p><i>Note: Applicant-Advocates having domain expertise of practicing before specialized Tribunals/ District Courts may be given concession with regard to the extent of appearances in the High Court.</i></p> <p>and</p> <p>(d) has attained the age of forty-five years on the date of notification inviting applications, unless the Full Court relaxes the age requirement in exceptional cases.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>(3) No application shall be entertained if the application of the Advocate for designation has been rejected by this High Court, any other High Court or the Supreme Court within the preceding two years, or if such application has been deferred within the preceding one year.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**5. Substitution of Rule 5 of Chapter XXIV.-** The existing provision of Rule 5, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', as set out in Column-I shall be substituted with Column-II as follows:

| <b>COLUMN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>COLUMN-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Existing Rule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Rule as here by substituted</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>5. Motion for Designation as Senior Advocate:- Designation of an Advocate as Senior Advocate by the High Court may be considered:</p> <p>(a) on the written proposal made by the Chief Justice or any sitting Judge of the High Court of Judicature at Allahabad.</p> <p>Provided that a sitting Judge will not make a proposal for more than two Advocates in a calendar year; or</p> <p>(b) on the written application submitted by an Advocate, recommended by two designated Senior Advocates.</p> <p>Provided further that such designated Senior Advocates will not recommend the names of more than two Advocates in a calendar year.</p> | <p>5. Motion for Designation as Senior Advocate:- (1) The Secretariat shall ordinarily initiate the process for designation at least once every calendar year by issuing a public notice on the official website of the High Court inviting applications. In addition, intimation will be given to the Bar Associations of the High Court.</p> <p>(2) At least twenty-one days' time shall be given for submission of applications.</p> <p>(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), the Full Court may, in a deserving case, recommend designation of an Advocate de hors an application, subject to his/her consent.</p> |

**6. Substitution of Rule 6 of Chapter XXIV.-** The existing provision of Rule 6, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', as set out in Column-I shall be substituted with Column-II as follows:

| <b>COLUMN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>COLUMN-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Existing Rule</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Rule as here by substituted</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>6. Procedure for Designation:- (1) All the written proposals and applications for designation of an Advocate as a Senior Advocate shall be submitted to the Secretariat.</p> <p>Provided that every application by an advocate shall be made in Form No. 1 of APPENDIX-A appended to these Rules.</p> <p>Provided further that in case the proposal emanates from a Judge it need not be submitted in the prescribed form. However once the proposal is received, the Secretariat shall request such advocate to submit Form No. 1 duly filled in within such time as directed by the Committee and in such a case the requirement of having recommendation of two Senior Advocates would stand dispensed with.</p> | <p>6. Procedure for Designation:- (1) All applications for designation of an Advocate as a Senior Advocate shall be submitted to the Secretariat in the manner and within the time specified in the public notice issued under Rule 5:</p> <p>Provided that every such application shall be made in Form No. 1 of APPENDIX-A appended to these Rules.</p> |

**COLUMN-1****Existing Rule**

(2) On receipt of an application or proposal for designation of an Advocate as a Senior Advocate, the Secretariat shall compile the relevant data and the information with regard to the reputation, conduct, integrity of the advocate concerned including his participation in pro bono work, reported judgments of the last five years in which the concerned advocate has appeared and has actually argued.

(3) The Secretariat will notify the proposed names of the advocates to be designated as Senior Advocates on the official website of the High Court of Judicature at Allahabad, inviting suggestions and views within such time as may be fixed by the Committee.

(4) After the material in terms of the above is compiled and all such information, as may be specifically required by the Committee to be obtained in respect of any particular candidate, has been obtained and the suggestions and views have been received, the Secretariat shall put up the case before the Committee for scrutiny.

(5) Upon submission of the case by the Secretariat, the Committee shall examine the same in the light of the material provided and, if it so desires, may also interact with the concerned advocate(s) and thereafter make its overall assessment on the basis of the point based format provided in APPENDIX-B to these Rules.

(6) After the overall assessment by the Committee, all the names listed before it will be submitted to the Full Court along with its Assessment Report.

**COLUMN-2****Rule as here by substituted**

(2) On receipt of an application for designation of an Advocate as a Senior Advocate, the Secretariat shall compile the relevant data and the information with regard to the reputation, conduct, integrity of the advocate concerned including his participation in pro bono work, reported judgments in which the concerned advocate has appeared and has actually argued and shall place the same before the Committee.

(3) The Committee will then notify the names of the advocates who have applied to be designated as Senior Advocates on the official website of the High Court of Judicature at Allahabad, inviting suggestions/views within such time as may be fixed by the Committee which shall not be less than 15 days from the date of such notification.

(4) After the material in terms of the above is compiled and all such information, as may be specifically required by the Committee to be obtained in respect of any particular candidate, has been obtained and the suggestions/views have been received, the Secretariat shall put up the case before the Committee for scrutiny.

(5) After examination, the Committee shall place before the Full Court all such applications, together with the names of the candidates found eligible and the relevant documents submitted by them, for decision by the Full Court.

(6) The Full Court will examine each application in the light of the data provided by the Secretariat and make its overall assessment on the basis of ability, standing at the Bar or special knowledge or experience in law of the candidates, considering the following:

Ability: It will include very sound knowledge of law and especially the branches of law in which the Advocate is practising. The ability will also include, apart from sound knowledge of law, skills of advocacy, which are required to effectively conduct a case. Writing articles and commentaries on law will be part of ability. Capacity to rationally critique judicial decisions will be a facet of ability.

| COLUMN-1<br>Existing Rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COLUMN-2<br>Rule as here by substituted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(7) Normally voting by ballot shall not be resorted to unless unavoidable. The motion shall be carried out by consensus, failing which voting by ballot may be resorted to. In the event of voting by ballot, the views of the majority of the Judges present and voting shall constitute the decision of the Full Court. In case the Judges present be equally divided, the Chief Justice or in his absence the Senior Judge present shall have the casting vote.</p> | <p>Standing at the Bar: Some of the qualities which give an advocate a standing at the Bar are as follows:</p> <p>(a) He/She is always fair while conducting cases before the Courts.</p> <p>(b) His/Her behavior with the Judges and other members of the Bar is respectful.</p> <p>(c) He/She maintains decorum conducting cases before the Court.</p> <p>(d) He/She always acts first as an officer of the court and, thereafter, a mouthpiece of his/her client.</p> <p>(e) He/She follows the highest standards of professional etiquette and ethics.</p> <p>(f) He/She acts as a mentor to the junior advocates.</p> <p>(g) He/She does pro bono work.</p> <p>(h) He/She carries respect in the legal fraternity.</p> <p>(i) He/She does possess honesty and integrity.</p> <p>The above list is only illustrative in nature, and not exhaustive.</p> <p>Special Knowledge of Law: An Advocate may be said to be having special knowledge or experience in law if in a particular branch of law, he has acquired expertise; for example, Arbitration, Insolvency and Bankruptcy, Company Law, Intellectual Property Law, Tax Laws, Revenue Law, etc.</p> <p>No criminal antecedents: An Advocate has not been convicted by a competent court of law and should not have been punished for an offence involving moral turpitude or contempt of court or should not have been punished by any State Bar Council/Bar Council of India for any act of misconduct.</p> <p>(7) The decision of the Full Court shall be by consensus, failing which, by secret ballot.</p> |

**COLUMN-1****COLUMN-2****Existing Rule****Rule as here by substituted**

(8) The cases that have not been favorably considered by the Full Court may be reviewed/ reconsidered after the expiry of a period of two years, following the same procedure as prescribed above as if the proposal is being considered afresh.

(8) Cases not favourably considered may be reviewed after expiry of two years from the date of decision of the Full Court. Cases deferred shall be reconsidered in the next exercise for designation of Senior Advocate.

**7. Insertion of sub-rule (4) in Rule 7 of Chapter XXIV.-** In Rule 7, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', the following sub-rule (4) be inserted as follows:

**(4) The decision of the Full Court shall be communicated individually to all applicants.**

**8. Substitution of Appendix-A of Chapter XXIV.-** The existing Appendix-A, Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', as set out in Column-I shall be substituted with Column-II as follows:

**COLUMN-1****COLUMN-2****Existing Appendix-A****Appendix-A as here by substituted**

APPENDIX-A

APPENDIX-A

[See Rule 6(1)]

[See Rule 6(1)]

Form No. 1

Form No. 1

Form of Application for designation as Senior Advocate

Form of Application for designation as Senior Advocate

Latest  
passport  
size  
photograph  
of Applicant

Latest  
passport  
size  
photograph  
of Applicant

|   |                                                             |                        |  |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Name                                                        |                        |  |
| 2 | Father's / husband's name                                   |                        |  |
| 3 | Address                                                     | Permanent Address      |  |
|   |                                                             | Correspondence Address |  |
| 4 | Age/Date of Birth                                           |                        |  |
| 5 | Enrollment No. Bar Council & Enrollment (Enclose Copy) Date |                        |  |

|   |                                                             |                        |  |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | Name                                                        |                        |  |
| 2 | Father's / husband's name                                   |                        |  |
| 3 | Address                                                     | Permanent Address      |  |
|   |                                                             | Correspondence Address |  |
| 4 | Age/Date of Birth                                           |                        |  |
| 5 | Enrollment No. Bar Council & Enrollment (Enclose Copy) Date |                        |  |

|         |                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                               |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|---------|--|--|
| 6       | Advocate Roll No.                                                                                                                                                                        |    | 6  | Advocate Roll No.                                                                                                                             |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 7       | Name of the Bar Association of which he/she is a member                                                                                                                                  |    | 7  | Name of the Bar Association of which he/she is a member                                                                                       |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 8       | Number of years of practice, and in which Court/s                                                                                                                                        |    | 8  | Number of years of practice, and in which Court/s                                                                                             |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 9       | If specialized in any branch of Law                                                                                                                                                      |    | 9  | If specialized in any branch of Law                                                                                                           |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 10      | Aadhaar No. (Enclose Copy)                                                                                                                                                               |    | 10 | Aadhaar No. (Enclose Copy)                                                                                                                    |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
|         | PAN Card No. (Enclose Copy)                                                                                                                                                              |    |    | PAN Card No. (Enclose Copy)                                                                                                                   |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 11      | Year from which he/she became an Income tax assessee, in respect of the professional income (enclose copies of relevant documents).                                                      |    | 11 | Year from which he/she became an Income tax assessee, in respect of the professional income (enclose copies of relevant documents).           |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 12      | Particulars of annual declared gross professional income for the past five years (with copies of documents/ Income Tax returns in this regard).                                          |    | 12 | Particulars of annual declared net professional income for the past five years (with copies of documents/ Income Tax returns in this regard). |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 13      | Professional Qualification (Enclose Copy)                                                                                                                                                |    | 13 | Professional Qualification (Enclose Copy)                                                                                                     |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 14      | Additional Qualification (Enclose Copy)                                                                                                                                                  |    | 14 | Additional Qualification (Enclose Copy)                                                                                                       |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 15      | Contact No.                                                                                                                                                                              |    | 15 | Contact No.                                                                                                                                   |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
|         | E. Mail                                                                                                                                                                                  |    |    | E. Mail                                                                                                                                       |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| 16      | Whether he/she is, or has been in the panel of Advocates of the State or Central Government or a public sector undertaking, or a statutory body, or institution. If so, details thereof. |    | 16 | Whether the applicant is a first-generation lawyer:                                                                                           | <input type="checkbox"/> Yes<br><input type="checkbox"/> No                                                               |       |      |    |         |  |  |
| 17      | Particulars of important matters involving question                                                                                                                                      |    | 17 | Courts, where the applicant is practicing /has practiced:                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Court</td><td>From</td><td>To</td></tr> <tr> <td>Supreme</td><td></td><td></td></tr> </table> | Court | From | To | Supreme |  |  |
| Court   | From                                                                                                                                                                                     | To |    |                                                                                                                                               |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |
| Supreme |                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                               |                                                                                                                           |       |      |    |         |  |  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|-------------------------|--|--|------------------------|--|--|
|                         | of law in which he/she appeared in the last five years, and particulars of at least ten citations of such reported cases during this period.                                                                                                                               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <table border="1"> <tr> <td>Court of India</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>High Court(s) /District</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Court(s) /Tribunal (s)</td><td></td><td></td></tr> </table> | Court of India |      |    | High Court(s) /District |  |  | Court(s) /Tribunal (s) |  |  |
| Court of India          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| High Court(s) /District |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| Court(s) /Tribunal (s)  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 18                      | Names and particulars of Advocates associated with him/her in his/her chamber/office.                                                                                                                                                                                      |    | 18 | Tribunals, where the applicant has specialized practice:<br><br>(Applicable to those practicing before Tribunals)                                                                                                                                                                                   | <table border="1"> <tr> <td>Tribunal (s)</td><td>From</td><td>To</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>                                          | Tribunal (s)   | From | To |                         |  |  |                        |  |  |
| Tribunal (s)            | From                                                                                                                                                                                                                                                                       | To |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 19                      | Particulars of cases In which he/she appeared as an arguing Counsel, on behalf of another Advocate, (not being an advocate from his/ her chamber/office), during the preceding three years, and the name and particulars of the Advocates on whose behalf he/she appeared. |    | 19 | Nature of practice—<br><br>(e.g. Civil, Criminal, Constitutional, Taxation, Company, Service, etc.)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 20                      | Particulars of articles, if any, published in any journal or books, if any, authored.                                                                                                                                                                                      |    | 20 | Field of Law domain expertise (such as Constitutional law, Inter-State Water Disputes, Criminal law, Arbitration law, Corporate law, Family law, Human Rights, Public Interest Litigation, International law, law relating to women, Revenue Law) in which the applicant specialization/ expertise: |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 21                      | Whether associated with any faculty of Law (If so, the particulars thereof).                                                                                                                                                                                               |    | 21 | Whether he/she is, or has been in the panel of Advocates of the State or Central Government or a public sector undertaking, or a statutory body, or institution. If So, details thereof.                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 22                      | Particulars of the cases in which he/she provided free legal aid.                                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 23                      | Particulars of the pro bono work performed.                                                                                                                                                                                                                                |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 24                      | Whether or not his/her name was considered for being designated as Senior Advocate within last two years.                                                                                                                                                                  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |
| 25                      | Whether he/she is involved in any criminal case disciplinary proceedings before State Bar Council. If so the particulars / the result / the stage of the proceedings.                                                                                                      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |      |    |                         |  |  |                        |  |  |

|    |                                                                                                                                                                            |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | Whether he/she is involved in any contempt case.                                                                                                                           |  | 22 | Particulars important of matters involving question of law in which he/she appeared in the last five years, and particulars of at least ten citations of such reported cases during this period.                                                                          |  |
| 27 | Whether any proceeding for professional misconduct has been initiated against him/her by the State Bar Council of Uttar Pradesh Council Bar of India (pending or decided). |  | 23 | Names and particulars of Advocates associated with him/ her in his/her chamber/office.                                                                                                                                                                                    |  |
| 28 | Whether any remark has ever been passed against him/her in any order/judgment by any Court of law.                                                                         |  | 24 | Particulars of cases in which he/she appeared as an arguing Counsel, on behalf of another Advocate, (not being an advocate from his/her chamber/office), during the preceding three years, and the name and particulars of the Advocates whose on behalf he/she appeared. |  |
| 29 | Whether he/she is involved in any collateral activities which may disqualify him/her for being designated as Senior Advocate.                                              |  | 25 | Particulars of articles, of if any, published in any journal or books, if any, authored.                                                                                                                                                                                  |  |
|    |                                                                                                                                                                            |  | 26 | Whether associated with any faculty of Law (If so, the particulars thereof).                                                                                                                                                                                              |  |
|    |                                                                                                                                                                            |  | 27 | Particulars of the cases in which he/she provided free legal aid.                                                                                                                                                                                                         |  |

(SIGNATURE OF THE APPLICANT)

I, the under signed advocate, practicing in the State of Uttar Pradesh, submit my application for being designated as senior Advocate and state my consent to be so designated by the High Court.

Dated \_\_\_\_\_

(Signature)

|  |    |                                                                                                                                                                               |  |
|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 28 | Particulars of the pro bono work performed.                                                                                                                                   |  |
|  | 29 | Whether or not was his/her name considered for being designated as Senior Advocate within last two years.                                                                     |  |
|  | 30 | Whether he/she is involved in any criminal case disciplinary case, proceedings before the State Bar Council. If so the particulars / the result the stage of the proceedings. |  |
|  | 31 | Whether he/she is involved in any contempt case.                                                                                                                              |  |
|  | 32 | Whether any proceeding for professional misconduct has been initiated against him/her by the State Bar Council of Uttar Pradesh/Bar Council of India (pending or decided).    |  |
|  | 33 | Whether any been remark has ever been passed against him/her in any order/judgment by any Court of law.                                                                       |  |
|  | 34 | Whether he/she is involved in any collateral activities which may disqualify may him/her for being designated as Senior Advocate.                                             |  |

|    |                                                                                                                    |                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 35 | Whether the applicant has applied earlier to any other High Court; if so, date of application and details thereof: | <input type="checkbox"/> Yes<br><input type="checkbox"/> No |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

(SIGNATURE OF THE APPLICANT)

I, the under signed advocate, practicing in the State of Uttar Pradesh, submit my application for being esignated as senior Advocate and state my consent to be so designated by the High Court.

Dated

(Signature)

**9. Omission of APPENDIX-B of Chapter XXIV.-** The APPENDIX-B of Chapter XXIV of the Rules of the Court, 1952, Vol.-I, under heading 'Rules Framed Under Section 34(1) read with Section 16(2) of the Advocate's Act, 1961' regarding 'Designation of Senior Advocate Rules, 2018', is **omitted**.

By Order of the Court,  
Manjeet Singh Sheoran,  
*Registrar General.*

## HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

### ESTABLISHMENT SECTION

#### NOTIFICATION

*April 08, 2026*

**No. 01**—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following amendments in "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976" :-

### THE ALLAHABAD HIGH COURT OFFICERS AND STAFF (CONDITIONS OF SERVICE AND CONDUCT) (AMENDMENT) RULES, 2025

**1. Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2025".

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

**2. Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires, 'Rules' mean "The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976".

**3. Substitution of sub-rule (a)(i) of Rule 8 of Part IV.-** In the said rules, for the existing sub-rule (a)(i) of Rule 8 set out in column-1 below, the provision as set out in column-2 shall be substituted namely:

| COLUMN-1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLUMN-2                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existing Provision |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provisions as here by substituted |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.(a)(i)           | (i) 60% by direct recruitment through Computer Assistant by the appointing authority or such as manner directed by Chief Justice.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.(a)(i)                          | (i) 60% by direct recruitment through Computer Assistant by the appointing authority or such as manner directed by Chief Justice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | (ii) 40% by promotion on merit through competitive examination from Class IV employees who have completed five years continuous satisfactory service as on 01 <sup>st</sup> July of the year of recruitment and possesses the minimum educational qualification of intermediate alongwith CCC Certificate / Diploma / Degree in Computer Science from recognized institute established by law in India. |                                   | (ii) 40% by promotion on merit through competitive examination from Class IV employees, including those holding the post of Driver, who have completed five years continuous satisfactory service as on 01 <sup>st</sup> July of the year of recruitment and possesses the minimum educational qualification of intermediate alongwith CCC Certificate / Diploma / Degree in Computer Science from recognized institute established by law in India. |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Provided that Drivers selected under this provision shall not be entitled to pay protection according to their previous remuneration in the Driver cadre and shall be appointed at the entry pay level of the Computer Assistant post.                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | Provided further that over and above the prescribed experience of 5 years as on 1 <sup>st</sup> July of the recruitment year, the following weightage in percentage shall be given for experience in the departmental examination:                                                                                                                                                                                                                   |

| Years                                                                                                              | Marks |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <i>More than 5 years and upto 10 years satisfactory service over and above the prescribed 5 years' experience</i>  | 2%    |
| <i>More than 10 years and upto 15 years satisfactory service over and above the prescribed 5 years' experience</i> | 4%    |
| <i>More than 15 years and upto 20 years satisfactory service over and above the prescribed 5 years' experience</i> | 6%    |
| <i>More than 20 years and upto 25 years satisfactory service over and above the prescribed 5 years' experience</i> | 8%    |
| <i>25 years or more satisfactory service over and above the prescribed 5 years' experience</i>                     | 10%   |

By order of the Hon'ble Chief Justice,  
Manjeet Singh Sheoran  
Registrar General.

April 17, 2026

**No. 02**—Under the orders dated 08.04.2026 of Hon'ble the Chief Justice, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and it's Lucknow Bench are hereby confirmed on their post with effect from the dates mentioned against their names:-

| Sl. No. | Emp. No. | Name                                       | Date of confirmation |
|---------|----------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1       | 2        | 3                                          | 4                    |
|         |          | (S/Sri)–                                   |                      |
| 1.      | 7435     | Smt. Radha Adhikari, <i>Lko.</i>           | 22.12.2025           |
| 2.      | 7302     | Sanjeev Ranjan                             | 19.12.2025           |
| 3.      | 7622     | Anil Kumar Yadav                           | 18.12.2025           |
| 4.      | 7623     | Kumari Rekha, <i>Lko.</i>                  | 19.12.2025.          |
| 5.      | 7624     | Mrs. Shweta Bhupesh                        | 19.12.2025           |
| 6.      | 7625     | Smt. Neetu Maurya                          | 18.12.2025           |
| 7.      | 7628     | Mrs. Ankita Jaiswal, <i>Lko.</i>           | 19.12.2025           |
| 8.      | 7629     | Amit Kumar                                 | 18.12.2025           |
| 9.      | 7630     | Prashant Saroj                             | 18.12.2025           |
| 10.     | 7631     | Mrs. Archana Verma                         | 19.12.2025           |
| 11.     | 7633     | Subhash                                    | 18.12.2025           |
| 12.     | 7634     | Jitendra Kumar                             | 18.12.2025           |
| 13.     | 7635     | Ms. Rashmi Gokul, <i>Lko.</i>              | 19.12.2025           |
| 14.     | 7636     | Smt. Rakhi Raidas.                         | 19.12.2025           |
| 15.     | 7637     | Mayank Kumar, <i>Lko.</i>                  | 18.12.2025           |
| 16.     | 7639     | Praveen Kumar                              | 18.12.2025           |
| 17.     | 7640     | Shivendra Bhaskar                          | 18.12.2025           |
| 18.     | 7641     | Satish Ram                                 | 18.12.2025           |
| 19.     | 7647     | Virendra Chaudhary, <i>Lko.</i>            | 19.12.2025           |
| 20.     | 7648     | Rajneesh Kumar, <i>Lko.</i>                | 19.12.2025           |
| 21.     | 7649     | Shyam Shekhar Gogi                         | 01.01.2026           |
| 22.     | 7651     | Arvind Kumar                               | 01.01.2026           |
| 23.     | 7653     | Himanshu Anand                             | 01.01.2026           |
| 24.     | 7533     | Manoj Kumar Sharma                         | 01.01.2026           |
| 25.     | 7336     | Ms. Indu Singh (Indu Kalhans), <i>Lko.</i> | 01.01.2026           |
| 26.     | 5849     | Gajendra Singh                             | 01.01.2026           |
| 27.     | 5702     | Yogendra Kumar Rawat                       | 01.02.2026           |
| 28.     | 5602     | Dilip Kumar Kushwaha                       | 01.02.2026           |

| 1   | 2    | 3                      | 4          |
|-----|------|------------------------|------------|
|     |      | (S/Sri)–               |            |
| 29. | 5958 | Pradeep Kumar Kushwaha | 01.02.2026 |
| 30. | 5054 | Radhey Shyam-II        | 04.02.2026 |
| 31. | 5972 | Narayan Kant Jha       | 01.02.2026 |
| 32. | 5698 | Devi Prasad Misra      | 01.02.2026 |
| 33. | 5146 | Vijay Bahadur Singh    | 01.03.2026 |

Above confirmation shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before this Court or Lucknow Bench of this Court.

**No. 03**—Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 08.04.2026, the following Additional Private Secretary of High Court of Judicature at Allahabad, is hereby confirmed on her post with effect from the date mentioned against her name:-

| Sl. No. | Emp. No. | Name               | Date of confirmation |
|---------|----------|--------------------|----------------------|
| 1       | 2        | 3                  | 4                    |
| 1.      | 3819     | Smt. Anjali Sharma | 02.01.2024           |

**REGISTRAR GENERAL**

May 01, 2026

**No. 04**—From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar in pay scale Level-13A (Rs.1,31,100–2,16,600) :

| Sl. No. | Emp. No. | Name            |
|---------|----------|-----------------|
| 1       | 2        | 3               |
| 1.      | 3433     | Sri John Caesar |

**No. 05**—From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar in pay scale Level-13 (Rs.1,23,100–2,15,900) :

| Sl. No. | Emp. No. | Name             |
|---------|----------|------------------|
| 1       | 2        | 3                |
|         |          | (S/Sri)–         |
| 1.      | 4096     | Abhinesh Chaddha |
| 2.      | 4093     | Keshav Kumar     |
| 3.      | 4098     | Sandeep Kumar    |

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training,

particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.)

**No. 06**—From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar in pay scale Level-12 (Rs.78,800–2,09,200) :

| Sl. No. | Emp. No. | Name                  |
|---------|----------|-----------------------|
| 1       | 2        | 3                     |
|         |          | (S/Sri)–              |
| 1.      | 7084     | Vasiullah Khan        |
| 2.      | 7059     | Smt. Sikha Srivastava |
| 3.      | 7060     | Vivek Kumar Singh     |

**No. 07**—From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs.56,100–1,77,500) :

| Sl. No. | Emp. No. | Name                          |
|---------|----------|-------------------------------|
| 1       | 2        | 3                             |
| 1.      | 7816     | Sri Shyam Sunder, <i>Lko.</i> |

(The promotion of Sri Shyam Sunder will be subject to final decision passed in Writ Petition No. 7873/2022 Lav and 35 Others Vs. The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad through its Registrar General and 189 Others')

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court) (In view of prevailing transfer policy, Sri Manoj Kumar Malviya (Emp. No. 3393), Registrar and Sri Sanjay Kumar Srivastava (Emp. No. 6039), Joint Registrar, both posted at High Court, Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad. Further, Sri John Caeser (Emp. No. 3433), posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Abhinesh Chaddha (Emp. No. 4096), Sri Keshav Kumar (Emp. No. 4093) and Sri Sandeep Kumar (Emp. No. 4098), all posted at High Court, Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Shyam Sunder (Emp. No. 7816), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court, Allahabad upon promotion as Section Officer)

May 27, 2026

**No. 08**—From the date of taking over charge, the following Additional Private Secretaries of High Court, Allahabad/Lucknow Bench, are hereby promoted to the post of Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 (Rs.56,100-1,77,500) as per 7<sup>th</sup> Pay Commission, in the existing vacancies:

| Sl. No. | Emp. No. | Name                       |
|---------|----------|----------------------------|
| 1       | 2        | 3                          |
|         |          | (S/Sri/Smt./Ms.)—          |
| 1.      | 3808     | Vijay Kumar Sahu           |
| 2.      | 3809     | Ankit Vishwakarma          |
| 3.      | 3810     | Mukesh Pal                 |
| 4.      | 10084    | Prashant Dwivedi           |
| 5.      | 3812     | Sandeep Pal                |
| 6.      | 3796     | Mohit Singh, <i>Lko.</i>   |
| 7.      | 3779     | Vandit Agrawal             |
| 8.      | 3813     | Nitika Srivastava          |
| 9.      | 3798     | Raj Nigam, <i>Lko.</i>     |
| 10.     | 3814     | Ravi Shankar Tiwari        |
| 11.     | 3780     | Amar Deep Yadav            |
| 12.     | 3815     | Karan Kumar Rao            |
| 13.     | 3817     | Krishna Kant Tiwari        |
| 14.     | 3799     | Pravesh Kumar Mishra       |
| 15.     | 3804     | Sachin Mishra              |
| 16.     | 3818     | Shivani Srivastava         |
| 17.     | 3803     | Pushpendra Pandey          |
| 18.     | 3800     | Saurabh Yadav, <i>Lko.</i> |
| 19.     | 3819     | Anjali Sharma              |
| 20.     | 3820     | Raziq Ali                  |
| 21.     | 3821     | Suraj Srivastava           |
| 22.     | 3822     | Vipasha Mukherjee          |
| 23.     | 3823     | Mohd. Sharif <i>Lko.</i>   |
| 24.     | 3824     | Piyush Yadav, <i>Lko.</i>  |
| 25.     | 3825     | Salman Ahmad               |

| 1   | 2     | 3                            |
|-----|-------|------------------------------|
|     |       | (S/Sri/Smt./Ms.)—            |
| 26. | 3826  | Aditya Tripathi              |
| 27. | 3793  | Kashifa                      |
| 28. | 3827  | Rajesh Kumar                 |
| 29. | 3828  | Gaurav Patel                 |
| 30. | 3829  | Shaswat Singh                |
| 31. | 3830  | Mohini Rai                   |
| 32. | 3802  | Krishn Kant Patel            |
| 33. | 3782  | Ashutosh Kumar Prajapati     |
| 34. | 3831  | Vaishali Sinha, <i>Lko.</i>  |
| 35. | 3787  | Ankit Sharma, <i>Lko.</i>    |
| 36. | 3789  | Vinay Kumar                  |
| 37. | 3801  | Arpan, <i>Lko.</i>           |
| 38. | 3832  | Aiman Farooqui               |
| 39. | 3805  | Anurag Jaiswal               |
| 40. | 3783  | Kalp Nath Singh              |
| 41. | 3792  | Shubham Arya                 |
| 42. | 3791  | Saurabh                      |
| 43. | 3794  | Abhishek Yadav               |
| 44. | 3833  | Mohd. Saqib Ansari           |
| 45. | 3834  | Imtiyaz Ahmad                |
| 46. | 10079 | Virendra Kumar Bharteey      |
| 47. | 3790  | Rama Kant                    |
| 48. | 3784  | Vandana Yadav                |
| 49. | 3835  | Ruhi Hasan                   |
| 50. | 3806  | Subham Kushwaha              |
| 51. | 3788  | Abhishek Gupta               |
| 52. | 3785  | Himanshu Shukla, <i>Lko.</i> |
| 53. | 3836  | Amit Kumar, <i>Lko.</i>      |
| 54. | 3778  | Sumit Kapoor, <i>Lko.</i>    |
| 55. | 3777  | Pawan Kumar                  |

| 1   | 2    | 3                          |
|-----|------|----------------------------|
|     |      | (S/Sri/Smt./Ms.)—          |
| 56. | 3837 | Manoj Kumar, Lko.          |
| 57. | 3795 | Sumit Kumar                |
| 58. | 3781 | Rahul Kumar                |
| 59. | 3786 | Chandra Prakash Sahani     |
| 60. | 3838 | Divya Singh, Lko.          |
| 61. | 3839 | Aditya Gautam              |
| 62. | 3840 | Mayank Pratap Singh, Lko.  |
| 63. | 3842 | Satish Kumar Bharati, Lko. |
| 64. | 3843 | Preeti Gautam, Lko.        |
| 65. | 3844 | Shashi Mishra              |

[The above promotion shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts and repatriation of Officers who are presently deputed in Hon'ble the Supreme Court of India, to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By Order of the Hon'ble Chief Justice,  
Manjeet Singh Sheoran,  
Registrar General.

## जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग प्रारूप—19

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[ अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

अधिसूचना

29 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 2860/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2026—चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या—2420/वि0भू0अ0अ0/सं0सं0/मथुरा/2025 दिनांक 19.12.2025 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद मथुरा में बरसाना—ऊँचागाँव—सुनहरा मार्ग (अ0जि0मा0) (लम्बाई 3.500 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु जनपद—मथुरा, तहसील—गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम—ऊँचागाँव में अर्जित की जाने वाली क्षे0 1.2625 हैक्टे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं0—30 सन् 2013) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा—11 की उप—धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 31.01.2026 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना सं०-491/एक-13-2014-7क(51)/2014 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव-सुनहरा मार्ग (अ०जि०मा०) (लम्बाई 3.500 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

## अनुसूची-“क”

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद    | तहसील   | परगना  | ग्राम    | भूखण्ड सं० | अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल |
|---------|---------|--------|----------|------------|---------------------------------|
| 1       | 2       | 3      | 4        | 5          | 6                               |
| मथुरा   | गोवर्धन | बरसाना | ऊँचागाँव |            | हेक्टेयर                        |
|         |         |        |          | 471        | 0.0425                          |
|         |         |        |          | 490        | 0.1720                          |
|         |         |        |          | 491        | 0.0840                          |
|         |         |        |          | 492        | 0.0300                          |
|         |         |        |          | 494        | 0.0400                          |
|         |         |        |          | 495        | 0.0900                          |
|         |         |        |          | 496        | 0.0600                          |
|         |         |        |          | 497        | 0.1370                          |
|         |         |        |          | 499        | 0.1070                          |
|         |         |        |          | 502मि०     | 0.0280                          |
|         |         |        |          | 503        | 0.0280                          |
|         |         |        |          | 504मि०     | 0.0320                          |
|         |         |        |          | 505        | 0.0320                          |
|         |         |        |          | 506        | 0.0420                          |
|         |         |        |          | 508        | 0.0540                          |
|         |         |        |          | 509        | 0.1320                          |
| 510मि०  | 0.1520  |        |          |            |                                 |
| योग ... |         |        |          | 1.2625     |                                 |

## अनुसूची-“ख”

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

| जिला  | तहसील   | परगना  | ग्राम    | भू-खण्ड संख्या | पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल |
|-------|---------|--------|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2       | 3      | 4        | 5              | 6                                       |
| मथुरा | गोवर्धन | बरसाना | ऊँचागाँव | शून्य          | हेक्टेयर<br>शून्य                       |

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
चन्द्र प्रकाश सिंह,  
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,  
मथुरा।

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT, UTTAR PRADESH****DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR**

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

**NOTIFICATION***April 29, 2026*

**No. 2860/S.L.A.O./J.O./Mathura/2026**—Whereas preliminary Notification No. 2420/S.L.A.O./J.O./ Mathura/2025 dated 19-12-2025 was issued under Sub-Section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act-2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of area 1.2625 hectare of land in Village- Unchagaon Tehsil Govardhan, District Mathura required for public purpose for widening and strengthening work of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in District Mathura and lastly published on 31-01-2026. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-Section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor vide Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow, Dated August 06, 2014, the Collector Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule “A” is needed for public

purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule “B” has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for widening and strengthening work of Barsana-Unchagaon-Sunhara Road (O.D.R) (length 3.500 km) in District Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.

### SCHEDULE-“A”

#### (LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

| District | Tehsil    | Pargana | Village   | Plot. No.    | Area To be Acquired |
|----------|-----------|---------|-----------|--------------|---------------------|
| 1        | 2         | 3       | 4         | 5            | 6                   |
|          |           |         |           |              | <i>Hectares</i>     |
| Mathura  | Govardhan | Barsana | Unchagaon | 471          | 0.0425              |
|          |           |         |           | 490          | 0.1720              |
|          |           |         |           | 491          | 0.0840              |
|          |           |         |           | 492          | 0.0300              |
|          |           |         |           | 494          | 0.0400              |
|          |           |         |           | 495          | 0.0900              |
|          |           |         |           | 496          | 0.0600              |
|          |           |         |           | 497          | 0.1370              |
|          |           |         |           | 499          | 0.1070              |
|          |           |         |           | 502M.        | 0.0280              |
|          |           |         |           | 503          | 0.0280              |
|          |           |         |           | 504M.        | 0.0320              |
|          |           |         |           | 505          | 0.0320              |
|          |           |         |           | 506          | 0.0420              |
|          |           |         |           | 508          | 0.0540              |
|          |           |         |           | 509          | 0.1320              |
|          |           |         |           | 510M.        | 0.1520              |
|          |           |         |           | <b>Total</b> | <b>1.2625</b>       |

**SCHEDULE-“B”****(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

| District        | Tehsil    | Pargana | Village   | Plot.<br>No. | Area acquired<br>earmarked for<br>rehabilitation |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1               | 2         | 3       | 4         | 5            | 6                                                |
| <i>Hectares</i> |           |         |           |              |                                                  |
| Mathura         | Govardhan | Barsana | Unchagaon | NIL          | NIL                                              |
| -               | -         | -       | -         | -            | -                                                |

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

**NOTE:** The site map of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By Order,  
Chandra Prakash Singh,  
Collector /Authorised Officer  
Mathura.

**उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग****प्रारूप-19**

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[ अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

**अधिसूचना**

29 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 2859/वि०भू०अ०अ०/सं०सं०/मथुरा/2026-चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-2419/वि०भू०अ०अ०/सं०सं०/मथुरा/2025 दिनांक 19.12.2025 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लांट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु जनपद-मथुरा, तहसील-गोवर्धन स्थित राजस्व ग्राम-डभाला/क्षेत्र 0.0880 हैक्टे०, मानपुर/क्षेत्र 0.7329 हैक्टे०, ऊँचागाँव/क्षेत्र 0.9517 हैक्टे० एवं खौर/क्षेत्र 0.0176 हैक्टे०, तदनुसार कुल क्षेत्रफल 1.7902 हैक्टे० अर्जित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं०-30 सन् 2013) (जिसे आगे “उक्त अधिनियम” कहा गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 31.01.2026 को प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त परियोजना हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं था।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन परन्तुक अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अधिसूचना सं०-491/एक-13-2014-7क(51)/2014 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कलेक्टर मथुरा

उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि प्रदत्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिह्नित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

जनपद मथुरा में बरसाना-ऊँचागाँव मार्ग से अडानी गैस प्लांट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन से किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिह्नित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### अनुसूची-"क"

#### (प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद  | तहसील   | परगना  | ग्राम  | भू-खण्ड सं० | अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल |
|-------|---------|--------|--------|-------------|---------------------------------|
| 1     | 2       | 3      | 4      | 5           | 6                               |
|       |         |        |        |             | हेक्टेयर                        |
| मथुरा | गोवर्धन | बरसाना | डभाला  | 3           | 0.0880                          |
|       |         |        | मानपुर | 1           | 0.0240                          |
|       |         |        |        | 2           | 0.0585                          |
|       |         |        |        | 7           | 0.0045                          |
|       |         |        |        | 8           | 0.0080                          |
|       |         |        |        | 9           | 0.0150                          |
|       |         |        |        | 10          | 0.0125                          |
|       |         |        |        | 26          | 0.0310                          |
|       |         |        |        | 28          | 0.1070                          |
|       |         |        |        | 30          | 0.0560                          |
|       |         |        |        | 39          | 0.0864                          |
|       |         |        |        | 40          | 0.1040                          |
|       |         |        |        | 60          | 0.0680                          |
|       |         |        |        | 62          | 0.0370                          |
|       |         |        |        | 69          | 0.0560                          |
|       |         |        |        | 70          | 0.0350                          |
|       |         |        |        | 71          | 0.0150                          |
|       |         |        |        | 72          | 0.0150                          |
|       |         |        |        | योग ...     | <b>0.7329</b>                   |

| 1     | 2       | 3      | 4        | 5          | 6        |
|-------|---------|--------|----------|------------|----------|
|       |         |        |          |            | हेक्टेयर |
| मथुरा | गोवर्धन | बरसाना | ऊँचागाँव | 515        | 0.0840   |
|       |         |        |          | 516        | 0.0168   |
|       |         |        |          | 518        | 0.1344   |
|       |         |        |          | 525        | 0.0240   |
|       |         |        |          | 526        | 0.0336   |
|       |         |        |          | 527        | 0.0360   |
|       |         |        |          | 528        | 0.0240   |
|       |         |        |          | 529        | 0.0456   |
|       |         |        |          | 530        | 0.0192   |
|       |         |        |          | 535        | 0.0588   |
|       |         |        |          | 536        | 0.0217   |
|       |         |        |          | 537        | 0.1202   |
|       |         |        |          | 539        | 0.1190   |
|       |         |        | ऊँचागाँव | 540        | 0.0224   |
|       |         |        |          | 541        | 0.0256   |
|       |         |        |          | 542        | 0.0256   |
|       |         |        |          | 543        | 0.0256   |
|       |         |        |          | 544        | 0.0304   |
|       |         |        |          | 545        | 0.0264   |
|       |         |        |          | 546        | 0.0136   |
|       |         |        |          | 547        | 0.0144   |
|       |         |        |          | 548        | 0.0144   |
|       |         |        |          | 550        | 0.0160   |
|       |         |        |          | योग...     | 0.9517   |
|       |         |        | खौर      | 68         | 0.0176   |
|       |         |        |          | कुल योग... | 1.7902   |

## अनुसूची-“ख”

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

| जिला  | तहसील   | परगना  | ग्राम    | भू-खण्ड संख्या | पुनर्वासन हेतु चिन्हित अर्जित क्षेत्रफल |
|-------|---------|--------|----------|----------------|-----------------------------------------|
| 1     | 2       | 3      | 4        | 5              | 6                                       |
|       |         |        |          |                | हेक्टेयर                                |
| मथुरा | गोवर्धन | बरसाना | डभाला    | शून्य          | शून्य                                   |
|       |         |        | मानपुर   | शून्य          | शून्य                                   |
|       |         |        | ऊँचागाँव | शून्य          | शून्य                                   |
|       |         |        | खौर      | शून्य          | शून्य                                   |

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति अनुभाग), मथुरा में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
चन्द्र प्रकाश सिंह,  
कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी,  
मथुरा।

**PUBLIC WORKS DEPARTMENT, UTTAR PRADESH****DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR**

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

**NOTIFICATION***April 29, 2026*

**No. 2859/S.L.A.O./J.O./Mathura/2026**—Whereas preliminary Notification No. 2419/S.L.A.O./J.O./Mathura/2025 dated 19.12.2025 was issued under Sub-Section (1) of Section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation & Resettlement Act-2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), in respect of area 0.0880 hectare of land in Village- Dabhala, area 0.7329 hectare of land in Village-Manpur, area 0.9517 hectare of land in Village- Unchagaon and area 0.0176 hectare of land in Village-Khor Total land area of 1.7902 hectare Tehsil Govardhan, District Mathura required for public purpose for the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura and lastly published on 31-01-2026. There is no family likely to be displaced due to land acquisition for the above said project. Hence there was no need to appoint Administrator for the purpose of Rehabilitation & Resettlement of the Project affected families.

Now, therefore, after considering the report of the Collector (Land Acquisition) submitted in pursuance to provision under Sub-Section (2) of Section 15 of the said Act, in exercise of the powers conferred by the Governor vide Notification No. 491/I-13-2014-7ka(51)/ 2014 Lucknow,

Dated August 06, 2014, the Collector Mathura declares under Section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been identified for Rehabilitation & Resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

No family is likely to be displaced due to land acquisition for the new construction work of the road from Barsana-Unchagaon road to Adani Gas Plant in District Mathura. Hence there is no need for identification of any land for Rehabilitation and Resettlement and publication of summary of Rehabilitation & Resettlement Scheme.

#### SCHEDULE-"A"

##### (LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

| District     | Tehsil    | Pargana | Village | Plot. No. | Area To be Acquired |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------|
| 1            | 2         | 3       | 4       | 5         | 6                   |
|              |           |         |         |           | <i>Hectares</i>     |
| Mathura      | Govardhan | Barsana | Dabhala | 3         | 0.0880              |
|              |           |         | Manpur  | 1         | 0.0240              |
|              |           |         |         | 2         | 0.0585              |
|              |           |         |         | 7         | 0.0045              |
|              |           |         |         | 8         | 0.0080              |
|              |           |         |         | 9         | 0.0150              |
|              |           |         |         | 10        | 0.0125              |
|              |           |         |         | 26        | 0.0310              |
|              |           |         |         | 28        | 0.1070              |
|              |           |         |         | 30        | 0.0560              |
|              |           |         |         | 39        | 0.0864              |
|              |           |         |         | 40        | 0.1040              |
|              |           |         |         | 60        | 0.0680              |
|              |           |         |         | 62        | 0.0370              |
|              |           |         |         | 69        | 0.0560              |
|              |           |         |         | 70        | 0.0350              |
|              |           |         |         | 71        | 0.0150              |
|              |           |         |         | 72        | 0.0150              |
| <b>Total</b> |           |         |         |           | <b>0.7329</b>       |

| 1       | 2         | 3       | 4                  | 5            | 6               |
|---------|-----------|---------|--------------------|--------------|-----------------|
|         |           |         |                    |              | <i>Hectares</i> |
| Mathura | Govardhan | Barsana | Unchagaon          | 515          | 0.0840          |
|         |           |         |                    | 516          | 0.0168          |
|         |           |         |                    | 518          | 0.1344          |
|         |           |         |                    | 525          | 0.0240          |
|         |           |         |                    | 526          | 0.0336          |
|         |           |         |                    | 527          | 0.0360          |
|         |           |         |                    | 528          | 0.0240          |
|         |           |         |                    | 529          | 0.0456          |
|         |           |         |                    | 530          | 0.0192          |
|         |           |         |                    | 535          | 0.0588          |
|         |           |         |                    | 536          | 0.0217          |
|         |           |         |                    | 537          | 0.1202          |
|         |           |         |                    | 539          | 0.1190          |
|         |           |         |                    | 540          | 0.0224          |
|         |           |         |                    | 541          | 0.0256          |
|         |           |         |                    | 542          | 0.0256          |
|         |           |         |                    | 543          | 0.0256          |
|         |           |         |                    | 544          | 0.0304          |
|         |           |         |                    | 545          | 0.0264          |
|         |           |         |                    | 546          | 0.0136          |
|         |           |         |                    | 547          | 0.0144          |
|         |           |         |                    | 548          | 0.0144          |
|         |           |         |                    | 550          | 0.0160          |
|         |           |         |                    | <b>Total</b> | <b>0.9517</b>   |
|         |           |         | Khor               | 68           | 0.0176          |
|         |           |         | <b>Grand Total</b> |              | <b>1.7902</b>   |

**SCHEDULE-“B”****(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

| District | Tehsil    | Pargana | Village   | Plot. No. | Area acquired<br>earmarked for<br>rehabilitation |
|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2         | 3       | 4         | 5         | 6                                                |
|          |           |         |           |           | <i>Hectares</i>                                  |
| Mathura  | Govardhan | Barsana | Dabhala   | NIL       | NIL                                              |
|          |           |         | Manpur    | NIL       | NIL                                              |
|          |           |         | Unchagaon | NIL       | NIL                                              |
|          |           |         | Khor      | NIL       | NIL                                              |

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)

**NOTE:** The site map of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

By Order,  
Chandra Prakash Singh,  
Collector /Authorised Officer  
Mathura.

**सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश****प्रारूप—19**

[ नियम 27 का उप नियम (1) ]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[ अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

**अधिसूचना**

30 जून, 2026 ई०

सं० 791/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) कमालपुर राजवाहा एवं धतरा शेख अल्पिका के निर्माण हेतु जनपद सम्मल तहसील चन्दौसी परगना सम्मल ग्राम बहरौली ताहरपुर में कुल 0.7140 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 412/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026 दिनांक 11.03.2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 11.04.2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्मल को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देती है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद सम्मल तहसील चन्दौसी परगना चन्दौसी ग्राम बहरौली ताहरपुर में कुल 0.7140 हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्मल कलेक्टर को निर्देशित करती है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इस के साथ संलग्न है।

### अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद    | तहसील   | परगना   | ग्राम          | भूखण्ड सं० | क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |
|---------|---------|---------|----------------|------------|-----------------------------|
| 1       | 2       | 3       | 4              | 5          | 6                           |
| सम्मल   | चन्दौसी | चन्दौसी | बहरौली ताहरपुर | 144        | 0.0528                      |
|         |         |         |                | 180        | 0.0080                      |
|         |         |         |                | 179        | 0.0028                      |
|         |         |         |                | 186        | 0.0704                      |
|         |         |         |                | 243        | 0.0832                      |
|         |         |         |                | 242        | 0.1440                      |
|         |         |         |                | 238        | 0.1752                      |
|         |         |         |                | 236        | 0.0816                      |
|         |         |         |                | 232        | 0.0240                      |
|         |         |         |                | 233        | 0.0720                      |
| कुल योग |         |         |                |            | 0.7140                      |

### अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | भूखण्ड सं० | पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) |
|------|-------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3     | 4     | 5          | 6                                                  |

-----विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"-----

टिप्पणी:-उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद सम्मल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

**कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना**

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-8, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल तहसील चन्दौसी परगना चन्दौसी ग्राम बहरौली ताहरपुर में कुल 0.7140 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना ..... दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट

आज्ञा से

राज्य सरकार/कलेक्टर,  
सम्भल।

**IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH****FORM-19**

[Sub-rule (1) of rule 27]

**DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR**

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

**NOTIFICATION***June 30, 2026*

**No. 791/VIII-S.L.A.O./Moradabad**—Whereas Preliminary notification no- 412/VIII-S.A.L.O./Moradabad dated: 11.03.2026 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.7140 hectares of land in Village-Bherolli Taherpur, Pargana-Sambal, Tehsil-Chandhoshi, District-Sambal, is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer Madhya Ganga Canal Construction Division-8, Bulandhahr (Name of requiring body) and lastly published on dated: 11.04.2026 The Deputy Collector/Assistant Collector Sambal Was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0.7141 hectares in Village-Bherolli Taherpur, Pargana-Sambal, Tehsil-Chandhoshi, District Sambal, as given in schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of SAMBHAL to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith-

### SCHEDULE "A"

#### (LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

| DISTRICT        | TEHSIL     | PARGANA    | VILLAGE           | PLOT NO. | AREA     |
|-----------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|
| 1               | 2          | 3          | 4                 | 5        | 6        |
|                 |            |            |                   |          | Hectares |
| Sambal          | Chandhoshi | Chandhoshi | Bherolli Taherpur | 144      | 0.0528   |
|                 |            |            |                   | 180      | 0.0080   |
|                 |            |            |                   | 179      | 0.0028   |
|                 |            |            |                   | 186      | 0.0704   |
|                 |            |            |                   | 243      | 0.0832   |
|                 |            |            |                   | 242      | 0.1440   |
|                 |            |            |                   | 238      | 0.1752   |
|                 |            |            |                   | 236      | 0.0816   |
|                 |            |            |                   | 232      | 0.0240   |
|                 |            |            |                   | 233      | 0.0720   |
| Grand Total . . |            |            |                   |          | 0.7140   |

### SCHEDULE "B"

#### (LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

| DISTRICT | TEHSIL | PARGANA | VILLAGE | PLOT NO. | AREA<br>EARMARKED<br>FOR<br>REHABILITATION<br>(IN HECT.) |
|----------|--------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1        | 2      | 3       | 4       | 5        | 6                                                        |

-NO. OF DISPLACED FAMILIES IS ^^ZERO\*\*-

**NOTE:** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, SAMBHAL for the purpose of acquisition.

**NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR****{UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION THE/ACT}**

U.P Irrigation Department, Executive Engineer M.G.C.C.D.-08, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification no.....date.....for 0.7140 hectares of land in Village-Bherolli Taherpur, Pargana-Sambal, Tehsil-Chandhoshi, District-Sambal is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made there in and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A Summary of Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

NOTE--The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

(Sd.) Illegible,

By Order

State Government/Collector,  
Sambhal.

**सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश****प्रारूप—19**

[ ख-नियम 27 का उप नियम (1) ]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[ अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

**अधिसूचना**

10 जुलाई, 2026 ई०

सं० 853/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026-उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम शेखूपुर मढी, पहरा, में कुल 0.1431 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 446/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026 दिनांक 18.03.2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 11.04.2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम शेखूपुर मढी, पहरा, में कुल 0.1431 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्मल कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इस के साथ संलग्न है।

### अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

| जनपद  | तहसील | परगना | ग्राम       | भूखण्ड सं० | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|-------|-------|-------|-------------|------------|--------------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4           | 5          | 6                        |
| सम्भल | सम्भल | सम्भल | शेखूपुर मढी | 125        | 0.0196                   |
|       |       |       | पहरा        | 407        | 0.0351                   |
|       |       |       |             | 476        | 0.0884                   |
|       |       |       |             | योग        | 0.1235                   |
|       |       |       |             | कुल योग    | 0.1431                   |

### अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

| जनपद | तहसील | परगना | ग्राम | भूखण्ड सं० | पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|------|-------|-------|-------|------------|-------------------------------------------------|
| 1    | 2     | 3     | 4     | 5          | 6                                               |

—विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”—

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

### कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि० अभि० मध्य गंगा निर्माण खण्ड-9, सम्भल (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला सम्भल तहसील सम्भल परगना सम्भल ग्राम शेखूपुर मढी, पहरा, में कुल 0.1431 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या दिनांक.....

के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

राज्य सरकार/कलेक्टर,  
सम्भल।

## IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

### FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

### NOTIFICATION

July 10, 2026

**No. 853/VIII-S.L.A.O./Moradabad**—Whereas Preliminary notification no- 446 dated: 11.04.2026 was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of hectares of land in Village-SHEKHUPUR MANI, PEHRA, Pargana-SAMBHAL, Tehsil-SAMBHAL, District-SAMBHAL is required for public purpose, namely, project MADHYA GANGA CANAL PHASE 2<sup>nd</sup> through IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH THROUGH EXECUTIVE ENGINEER MADHYA GANGA CANAL CONSTRUCTION DIVISION-9, SAMBHAL (Name of requiring body) and lastly published on dated: 11.04.2026 The Deputy Collector/Assistant Collector..... Was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule “A” is needed for public purpose and the land to the extent of 0.1431 hectares in Village-SHEKHUPUR MANI, PEHRA, Pargana-SAMBHAL, Tehsil-SAMBHAL, District-SAMBHAL as given in Schedule “B” has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of SAMBHAL to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith-

**SCHEDULE "A"****(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

| DISTRICT | TEHSIL  | PARGANA | VILLAGE           | PLOT NO.           | AREA           |
|----------|---------|---------|-------------------|--------------------|----------------|
| 1        | 2       | 3       | 4                 | 5                  | 6              |
|          |         |         |                   |                    | <i>Hectare</i> |
| SAMBHAL  | SAMBHAL | SAMBHAL | SHEKHUPUR<br>MANI | 125                | 0.0196         |
| ”        | ”       | ”       | PEHRA             | 407                | 0.0351         |
|          |         |         |                   | 476                | 0.0884         |
|          |         |         |                   | Total              | 0.1235         |
|          |         |         |                   | <b>Grand Total</b> | <b>0.1431</b>  |

**SCHEDULE "B"****(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

| DISTRICT | TEHSIL | PARGANA | VILLAGE | PLOT NO. | AREA EARMARKED<br>FOR<br>REHABILITATION<br>(IN HECT.) |
|----------|--------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1        | 2      | 3       | 4       | 5        | 6                                                     |

NO. OF DISPLACED FAMILIES IS "ZERO"

**NOTE:** A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, SAMBHAL for the purpose of acquisition.

**NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR****[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION THE/ACT]**

U.P Irrigation Department, Executive Engineer M.G.C.C.D.-09, Sambhal By the Order of declaration made under Government notification no.....date.....for 0.1431 hectares of land in Village-SHEKHUPUR MANI, PEHRA, Pargana-SAMBHAL, Tehsil-SAMBHAL, District-SAMBHAL is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body, I hereby published the declaration made there in and

summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A Summary of Rehabilitation and Resettlement scheme is given below.

.....

The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

(Sd.) Illegible,  
State Government/Collector,  
Sambhal.

## कार्यालय, जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आज्ञायें

### राजस्व विभाग

#### प्रारूप-18

#### [ नियम-20 का उप नियम (2) ]

#### समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

#### [ अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

#### अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 154/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका अगौता के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-किसौली में कुल 0.2272 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

#### अनुसूची

| क्र० सं० | जनपद      | तहसील     | परगना | ग्राम  | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र हेक्टेयर |
|----------|-----------|-----------|-------|--------|----------------|----------------------------------------|
| 1        | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | अगौता | किसौली | 493            | 0.0095                                 |
| 2        | "         | "         | "     | "      | 492            | 0.2145                                 |
| 3        | "         | "         | "     | "      | 321            | 0.0032                                 |
|          |           |           |       |        | योग . .        | 0.2272                                 |

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी-** उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

### Revenue Department

Form-18

[ Sub-rule (2) of Rule 20 ]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[ Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act ]

### Notification

June 16, 2026

No. 154/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr-1--Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 0.2272 hectares of land is required in Village Kisauli, District and Tehsil-Bulandshahr for filling the gap of Alpika Agota under Lakhavati Branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

**Schedule**

| Sl. No. | District    | Tehsil      | Pargana | Village | Plot Number | Area to be Acquired<br>Hectares |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|---------------------------------|
| 1       | Bulandshahr | Bulandshahr | Agota   | Kisauli | 493         | 0.0095                          |
| 2       | ”           | ”           | ”       | ”       | 492         | 0.2145                          |
| 3       | ”           | ”           | ”       | ”       | 321         | 0.0032                          |
|         |             |             |         |         | Total . .   | 0.2272                          |

4-Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

**Note:** A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,  
District Magistrate,  
Bulandshahr.

## कार्यालय, जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आज्ञायें

### राजस्व विभाग

#### प्रारूप-18

#### [ नियम-20 का उपनियम (2) ]

#### समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

#### [ अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत ]

#### अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 148/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका सूजापुर के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर ग्राम-सूजापुर में कुल 1.2780 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूचि में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

## अनुसूची

| क्र०<br>सं० | जनपद      | तहसील     | परगना | ग्राम   | भू-खण्ड<br>संख्या | अर्जित किये जाने<br>वाला क्षेत्र<br>हेक्टेयर |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1           | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | बरन   | सूजापुर | 18                | 0.1980                                       |
| 2           | "         | "         | "     | "       | 125               | 0.1230                                       |
| 3           | "         | "         | "     | "       | 131               | 0.0780                                       |
| 4           | "         | "         | "     | "       | 130               | 0.0960                                       |
| 5           | "         | "         | "     | "       | 180               | 0.2520                                       |
| 6           | "         | "         | "     | "       | 179               | 0.1470                                       |
| 7           | "         | "         | "     | "       | 188               | 0.3840                                       |
|             |           |           |       |         | योग . .           | 1.2780                                       |

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी:-** उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

**कार्यालय, जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आज्ञायें**

**राजस्व विभाग**

**प्रारूप-18**

**[ नियम-20 का उप नियम (2) ]**

**समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना**

**[ अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]**

**अधिसूचना**

16 जून, 2026 ई०

सं० 149/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी

शाखा के अन्तर्गत अल्पिका मालागढ़ के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-मालागढ़ में कुल 1.4824 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

#### अनुसूची

| क्र०<br>सं० | जनपद      | तहसील     | परगना | ग्राम   | भू-खण्ड संख्या | अर्जित किये जाने<br>वाला क्षेत्र<br>हेक्टेयर |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|----------------|----------------------------------------------|
| 1           | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | अगौता | मालागढ़ | 670            | 0.1105                                       |
| 2           | "         | "         | "     | "       | 671            | 0.1105                                       |
| 3           | "         | "         | "     | "       | 672            | 0.0816                                       |
| 4           | "         | "         | "     | "       | 673            | 0.0765                                       |
| 5           | "         | "         | "     | "       | 674            | 0.0408                                       |
| 6           | "         | "         | "     | "       | 675            | 0.0340                                       |
| 7           | "         | "         | "     | "       | 677            | 0.2040                                       |
| 8           | "         | "         | "     | "       | 754            | 0.1190                                       |
| 9           | "         | "         | "     | "       | 755            | 0.2380                                       |
| 10          | "         | "         | "     | "       | 759            | 0.0360                                       |
| 11          | "         | "         | "     | "       | 760            | 0.0405                                       |
| 12          | "         | "         | "     | "       | 787            | 0.0720                                       |
| 13          | "         | "         | "     | "       | 786            | 0.0300                                       |
| 14          | "         | "         | "     | "       | 788            | 0.1564                                       |
| 15          | "         | "         | "     | "       | 789            | 0.1326                                       |
|             |           |           |       |         | योग . .        | 1.4824                                       |

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी:-**उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR****Revenue Department**

Form-18

[ Sub-rule (2) of Rule 20 ]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[ Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act ]

**Notification**

June 16, 2026

No. 149/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 1.4824 hectares of land is required in Village-Malagarh, District and Tehsil-Bulandshahr for filling the gap of Alpika Malagarh under Lakhavati Branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

**Schedule**

| Sl. No.   | District    | Tehsil      | Pargana | Village  | Plot Number | Area to be Acquired |
|-----------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|---------------------|
|           |             |             |         |          |             | Hectares            |
| 1         | Bulandshahr | Bulandshahr | Agota   | Malagarh | 670         | 0.1105              |
| 2         | "           | "           | "       | "        | 671         | 0.1105              |
| 3         | "           | "           | "       | "        | 672         | 0.0816              |
| 4         | "           | "           | "       | "        | 673         | 0.0765              |
| 5         | "           | "           | "       | "        | 674         | 0.0408              |
| 6         | "           | "           | "       | "        | 675         | 0.0340              |
| 7         | "           | "           | "       | "        | 676         | 0.2040              |
| 8         | "           | "           | "       | "        | 677         | 0.1190              |
| 9         | "           | "           | "       | "        | 754         | 0.2380              |
| 10        | "           | "           | "       | "        | 755         | 0.0360              |
| 11        | "           | "           | "       | "        | 759         | 0.0405              |
| 12        | "           | "           | "       | "        | 787         | 0.0720              |
| 13        | "           | "           | "       | "        | 786         | 0.0300              |
| 14        | "           | "           | "       | "        | 788         | 0.1564              |
| 15        | "           | "           | "       | "        | 789         | 0.1326              |
| Total . . |             |             |         |          |             | 1.4824              |

4. Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5. Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6. Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceeding enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

**Note:** A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,  
District Magistrate,  
Bulandshahr.

## कार्यालय, जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आज्ञायें

### राजस्व विभाग

#### प्रारूप-18

#### [ नियम-20 का उपनियम (2) ]

#### समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

#### [ अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]

#### अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 151/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका अगौता के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-अगौता में कुल 0.84625 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3- राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं-

#### अनुसूची

| क्र० सं० | जनपद      | तहसील     | परगना | ग्राम | भूखण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र (हे० में) |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------|-----------------------------------------|
| 1        | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | अगौता | अगौता | 19            | 0.31350                                 |
| 2        | "         | "         | "     | "     | 75            | 0.00200                                 |
| 3        | "         | "         | "     | "     | 73            | 0.11000                                 |
| 4        | "         | "         | "     | "     | 40            | 0.18975                                 |
| 5        | "         | "         | "     | "     | 39            | 0.03025                                 |
| 6        | "         | "         | "     | "     | 43            | 0.08250                                 |
| 7        | "         | "         | "     | "     | 67            | 0.11825                                 |
| योग . .  |           |           |       |       |               | <b>0.84625</b>                          |

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी:-** उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

### Revenue Department

Form-18

[ Sub-rule (2) of Rule 20 ]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[ Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act ]

### Notification

June 16, 2026

No. 151/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1- Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 0.84625 hectares of land is required in the district and Tehsil Bulandshahr, Village Agouta, to fill the gap of Alpika Agouta under the Lakhavati branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2- There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3- The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

**Schedule**

| Sl. No.          | District    | Tehsil      | Pargana | Village | Plot Number | Area to be Acquired |
|------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|---------------------|
|                  |             |             |         |         |             | Hectares            |
| 1                | Bulandshahr | Bulandshahr | Agota   | Agota   | 19          | 0.31350             |
| 2                | "           | "           | "       | "       | 75          | 0.00200             |
| 3                | "           | "           | "       | "       | 73          | 0.11000             |
| 4                | "           | "           | "       | "       | 40          | 0.18975             |
| 5                | "           | "           | "       | "       | 39          | 0.03025             |
| 6                | "           | "           | "       | "       | 43          | 0.08250             |
| 7                | "           | "           | "       | "       | 67          | 0.11825             |
| <b>Total . .</b> |             |             |         |         |             | <b>0.84625</b>      |

4-Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

**Note:** A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,  
District Magistrate,  
Bulandshahr.

**कार्यालय, जिलाधिकारी बुलन्दशहर की आज्ञायें**

**राजस्व विभाग**

**प्रारूप-18**

**[ नियम-20 का उप नियम (2) ]**

**समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना**

**[ अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ]**

**अधिसूचना**

**16 जून, 2026 ई०**

सं० 155/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी

शाखा के अन्तर्गत अल्पिका सीकरी के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-रहमापुर स्यावली में कुल 0.16875 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार / कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं—

#### अनुसूची

| क्र0 सं0 | जनपद      | तहसील     | परगना | ग्राम           | भूखण्ड संख्या | अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र (हे0 में) |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1        | बुलन्दशहर | बुलन्दशहर | बरन   | रहमापुर स्यावली | 138           | 0.16875                                 |

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

**टिप्पणी:**— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,  
जिलाधिकारी  
बुलन्दशहर।

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

### Revenue Department

Form-18

[ Sub-rule (2) of Rule 20 ]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[ Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act ]

### Notification

June 16, 2026

No. 155/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 0.16875 hectares of land is required in Village-Rahmapur Syawali, District and Tehsil-Bulandshahr for

filling the gap of Alpika Sikri under Lakhavati branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

**Schedule**

| Sl. No. | District    | Tehsil      | Pargana | Village          | Plot Number | Area to be Acquired<br>Hectares |
|---------|-------------|-------------|---------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 1       | Bulandshahr | Bulandshahr | Baran   | Rahmapur Syawali | 138         | 0.16875                         |

4. Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5. Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6. Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

**Note:** A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,  
District Magistrate,  
Bulandshahr.



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक संवत्)

### भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

वर्ष 2026 की हाईस्कूल कम्पार्टमेन्ट/इम्प्रूवमेन्ट एवं इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा कार्यक्रम

दिनांक 13 जुलाई, 2026 ई०

संख्या : मा०शि०प०/समन्वय/68—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रसारित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा हाईस्कूल इम्प्रूवमेन्ट/कम्पार्टमेन्ट एवं इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षा हेतु निम्नवत् परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :-

### दिनांक तथा परीक्षा समय

| दिवस तथा दिनांक                | समय                                | विषय तथा प्रश्नपत्र हाईस्कूल                                                                                                                                                                            | विषय तथा प्रश्नपत्र इण्टरमीडिएट |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                              | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                               |
| मंगलवार<br>28 जुलाई<br>2026 ई० | प्रातः 8:30 बजे से<br>11:45 बजे तक | हिन्दी, प्रारम्भिक हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, गृह विज्ञान— (केवल बालिकाओं के लिये), विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, चित्रकला, कृषि, सिलाई, कम्प्यूटर, एन०सी०सी० | -----                           |

| 1 | 2                               | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | सायं 2:00 बजे<br>से 5:15 बजे तक | — | हिन्दी, सामान्य हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, अंग्रेजी, अरबी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, संगीत गायन, संगीत वादन, चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्राविधिक), समाजशास्त्र, कम्प्यूटर, सिलाई शिल्प, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र (वाणिज्य वर्ग के लिए), व्यवसाय अध्ययन, कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी) प्रथम प्रश्नपत्र— (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि वनस्पति विज्ञान द्वितीय प्रश्नपत्र— (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी—पंचम प्रश्नपत्र— (कृषि भाग-1 के लिये), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनामी)—षष्ठम् प्रश्नपत्र—(कृषि भाग-2 के लिये), कृषि जन्तु विज्ञान—अष्टम् प्रश्नपत्र— (कृषि भाग-2 के लिये), एन0 सी0 सी0, सामान्य आधारिक विषय, फल एवं खाद्य संरक्षण—प्रथम प्रश्नपत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण—द्वितीय प्रश्नपत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण—तृतीय प्रश्नपत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण—चतुर्थ प्रश्नपत्र, फल एवं खाद्य संरक्षण—पंचम प्रश्नपत्र, पाकशास्त्र (कुकरी)—पंचम प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा—प्रथम प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा—द्वितीय प्रश्नपत्र, परिधान रचना एवं सज्जा—चतुर्थ प्रश्नपत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी—प्रथम प्रश्नपत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी—द्वितीय प्रश्नपत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी—तृतीय प्रश्नपत्र, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी—पंचम प्रश्नपत्र, टेक्सटाइल डिजाइन— प्रथम प्रश्नपत्र, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध—प्रथम प्रश्नपत्र, |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | <p>नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध—द्वितीय प्रश्नपत्र, पुस्तकालय विज्ञान—चतुर्थ प्रश्नपत्र, पुस्तकालय विज्ञान—पंचम प्रश्नपत्र, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (मेडिकल लेबोरेटरी तकनीक सहित)— प्रथम प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी— प्रथम प्रश्नपत्र, रंगीन फोटोग्राफी—द्वितीय प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन —प्रथम प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन—द्वितीय प्रश्नपत्र, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन— चतुर्थ प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स— प्रथम प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स— द्वितीय प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स— तृतीय प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स— चतुर्थ प्रश्नपत्र, आटोमोबाइल्स— पंचम प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण—प्रथम प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण— द्वितीय प्रश्नपत्र, एकाउन्टेन्सी एवं अंकक्षण—चतुर्थ प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण—प्रथम प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण—द्वितीय प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी) —चतुर्थ प्रश्नपत्र, आशुलिपि एवं टंकण (हिन्दी)—पंचम प्रश्नपत्र, सचिवीय पद्धति—प्रथम प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी—प्रथम प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी—तृतीय प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी—चतुर्थ प्रश्नपत्र, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी—पंचम प्रश्नपत्र, कम्प्यूटर तकनीक एवं मेन्टेनेन्स (डाटा एन्ट्री प्रासेस)—तृतीय प्रश्नपत्र।</p> |

इण्टरमीडिएट चित्रकला (आलेखन) संकेतांक (335), चित्रकला (प्राविधिक) संकेतांक (337) तथा रंजनकला संकेतांक (339) केन्द्र व्यवस्थापकों के लिये गोपनीय निर्देश हैं। इन्हें सम्बन्धित प्रश्नपत्र की परीक्षा तिथि व समय के 48 घण्टे पूर्व खोलना चाहिए।

1. प्रश्नपत्रों के क्रम के विषय में परीक्षार्थियों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
2. प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिये निर्धारित है।
3. दिव्यांग तथा दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे के हिसाब से अतिरिक्त समय देय होगा।
4. संकेतांक 411, 416, 421, 426 तथा 431 कामन प्रश्नपत्र हैं।
5. संकेतांक 506, 511, 516, 523, 528, 533, 538 तथा 543 कामन प्रश्नपत्र हैं।
6. संकेतांक 508, 513, 518, 525, 530, 535, 540 तथा 545 कामन प्रश्नपत्र हैं।
7. संकेतांक 517, 524 तथा 544 कामन प्रश्नपत्र हैं।

(ह0) अस्पष्ट,  
सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 जुलाई, 2026 ई० (श्रावण 03, 1948 शक संवत्)

### भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

#### NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,  
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत पाकबड़ा, मुरादाबाद

21 जून, 2025 ई०

सं० 03/न०प०पा०/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 व धारा 299 के निर्देशों के क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा नगर पंचायत की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने से सम्बन्धित उपविधियों प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301(1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबड़ा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-05 के द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक आज में दिनांक 28 मई, 2025 एवं दैनिक शाह टाइम्स 28 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयवाधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-05 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

### नगर पंचायत पाकबड़ा की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने से सम्बन्धित उपविधियाँ-2025

नगर पंचायत पाकबड़ा के अर्न्तगत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 व धारा 299 के अधीन “नगर पंचायत पाकबड़ा की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने” के सम्बन्ध में निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत पाकबड़ा के द्वारा लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी से प्रभावी होगी।

#### उपविधियाँ

1— (1)— यह उपविधियाँ नगर पंचायत पाकबड़ा मुरादाबाद की “नगर पंचायत पाकबड़ा की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने” की उपविधि कहलायेगी।

(2)— यह सम्पूर्ण नगर पंचायत पाकबड़ा क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(3)— यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2— **परिभाषायें**— विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1)— “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2)— “अधिशाली अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा के अधिशाली अधिकारी से है,

(3)— “चेयरपर्सन” से तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4)— “अनुज्ञा” का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त “अनुज्ञा” से है।

(5)— “वर्ष” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(6)— “अनुज्ञा (लाइसेंस) अधिकारी” का तात्पर्य अधिशाली अधिकारी से है,

(7)— “निरीक्षक” का तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत पाकबड़ा के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया हो,

(8)— “विज्ञापन/प्रचार” से तात्पर्य नगर पंचायत पाकबड़ा की सीमा में किसी भी माध्यम से किये जा रहे विज्ञापन/प्रचार से है जिसमें होर्डिंग, बैनर, कटआउट, लोकल टी0वी0 के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यन्त्र से, पम्पलेट/पर्चे चाहें व दीवारों पर चिपकाये जायें अथवा किसी समाचार-पत्र में रखकर बंटवाये जाये, दीवार पेन्टिंग आदि से है परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल की सीमा में बोर्ड होर्डिंग दीवार पेन्टिंग लगा अपने प्रतिष्ठान का नाम आदि लिखना शामिल नहीं है परन्तु अपने कार्यस्थल की सीमा से बाहर यदि कोई बोर्ड/होर्डिंग आदि लगाया जायेगा तब वह इस परिभाषा में आयेगा,

(9)— ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**— ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3— नगर पंचायत के द्वारा अपने क्षेत्र में विज्ञापन/प्रचार करने वाले व्यक्ति से विज्ञापन/प्रचार का शुल्क प्राप्त करेगी जो कि निम्न प्रकार लिया जायेगा—

(1)— होर्डिंग/कटआउट से विज्ञापन/प्रचार करने में

रु0 5.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)

|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (2)– बैनर से विज्ञापन/प्रचार करने की में                        | रु 2.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)  |
| (3)– ग्लोसाईन बोर्ड से विज्ञापन/प्रचार करने में                 | रु 10.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये) |
| (4)– दीवार पेन्टिंग से विज्ञापन/प्रचार करने में                 | रु 2.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)  |
| (5)– 2 वर्ग फुट या बड़े पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में | रु 500.00 प्रति सौ पोस्टर               |
| (6)– 2 फुट से कम पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में        | रु 200.00 प्रति सौ पोस्टर               |
| (7)– समाचार-पत्र में पर्चे निकलवाकर विज्ञापन/प्रचार करने में    | रु 100.00 प्रति हजार                    |
| (8)– लोकल टी0वी0 पर स्लाईड लगाकर विज्ञापन/प्रचार करने में       | रु 500.00 (प्रतिमाह)                    |
| (9)– ध्वनि विस्तारक यन्त्र से विज्ञापन/प्रचार करने में          | रु 100.00 प्रतिदिन                      |

उपरोक्त दर नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा या प्राप्त शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी/चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

#### स्पष्टीकरण—

(1)– उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य माध्यम से प्रचार/विज्ञापन किया जाता है तब उसका शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को होगा।

(2)– उपरोक्त शुल्क केवल विज्ञापन/प्रचार का शुल्क है इसमें विज्ञापन/प्रचार सामग्री को निर्मित करने का कोई शुल्क नहीं है उक्त निर्माण का व्यय स्वयं पक्षकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

4– नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

5– ठेके की मियाद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्ही कारणवश ठेका 1 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार ना होगा।

6– ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

7– ठेकेदार ठेके की राशि के 1/4 भाग को ठेका लेते समय ही नगर पंचायत में जमा करेगा तथा शेष 3/4 धनराशि तीन किश्तों में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी तक प्रत्येक स्थिति में जमा करेगा नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा।

8– ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9– ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) उपरोक्त विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूल नहीं करेगा।

10— ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

11— ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी वसूली के लिये एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

12— ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी निजी सम्पत्ति पर सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नहीं देंगे।

13— ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नहीं देंगे जिससे मार्ग अवरुद्ध हो रहा हो अथवा आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो अथवा स्थल का सौन्दर्य खराब हो रहा हो।

14— ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति पर भी विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नहीं देंगे जिस पर आम जनता के द्वारा आपत्ति की जा रही हो।

15— ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी ऐसे किसी भी प्रचार/विज्ञापन की अनुमति नहीं देंगे जो कि भ्रामक, भडकावे वाला अथवा अन्य किसी प्रकार से अनैतिक, अश्लील अथवा कानून के विरुद्ध हो।

16— ध्वनि प्रसारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन अनुमति केवल दिन के 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक ही दी जायेगी। परन्तु परीक्षा के दिनों में अथवा ऐसे दिनों में जिसमें इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन की अनुमति देना उचित ना हो न दी जायेगी।

17— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये किये गये विज्ञापन/प्रचार एवं ऐसे विज्ञापन/प्रचार जो किसी गुमशुदा की तलाश अथवा किसी सामाजिक उत्थान व समाज सेवा आदि के लिये बिना किसी लाभ के लिये किये जा रहे हो के लिये कोई शुल्क देय नहीं होगा।

18— नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जोकि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

19— यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्ही उपबंधों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्ही अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बांधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन 1,000 रु0 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

20— यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संसोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

21— उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

## शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत पाकबडा मुरादाबाद अधिनियम 1916 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1000 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

मौ0 याकूब,  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत पाकबडा,  
जनपद मुरादाबाद।

## कार्यालय, आदर्श नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज

## उपविधि सूचना

19 फरवरी, 2026 ई0

सं0 342/न0पं0बृ0/2025-26-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद-महाराजगंज पशुओं के व्यवसायिक डेयरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 243 एवं 298 के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है। पशुओं को आवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाओं/पशु केंद्रित व पशु जनित हिंसा की समस्या के निवारण, आवारा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उद्दण्ड/आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा किंचित प्रकरणों में आमजनों पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करी/गोहत्या/चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, पशुओं द्वारा पालिथिन कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेयरी परिसरों के कारण गोबर/गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/गंदगी/दुर्गन्ध/मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु आम नागरिकों से आपत्ति/सुझाव कार्यालय के पत्रांक संख्या-342/न0पं0बृ0/2024-25 दिनांक 19 फरवरी, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों (दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा) में एक दिन के अंक में प्रकाशित कराया गया, प्रकाशित तिथि से 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त न होने की स्थिति में उक्त उपविधि की पुष्टि किये जाने हेतु पत्र संख्या 36/न0पं0बृ0/2025-26 दिनांक 24 अप्रैल, 2025 द्वारा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र (दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा) में एक दिन के अंक में उपविधि प्रकाशित करायी गयी।

अतएवं उक्त नियमावली की पुष्टि करते हुये अधिनियम की धारा 301(2) के अधीन उ0प्र0 शासकीय गजट में प्रकाशन कराया जाना है, यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, यह नियमावली नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के सीमान्तगत डेयरी/डेयरी पशु उपविधि 2025 कहलाएगी।

**1— शीर्षक—** यह उपविधि नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद महाराजगंज डेयरी/डेयरी पशु उपविधि 2025 कहलाएगी।

**2— प्रकृति—** यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत बृजमनगंज, जनपद महाराजगंज में प्रभावी रहेगी।

**3— परिभाषाएँ—** जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधियों में—

(1) “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) “बोर्ड/समिति” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद महाराजगंज के बोर्ड/समिति से है।

(3) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज जनपद महाराजगंज से है।

(4)— “अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज के अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी से है।

(5) “नगर पंचायत की सीमाओं” का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमाओं या भविष्य में बढ़ाने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

**4— डेयरी/डेयरी पशु उपविधि 2025** में संशोधन/परिवर्धन/परिवर्तन समय-समय पर किया जायेगा।

**5—** यह उपविधि लागू होते ही नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज में प्रचलित वर्तमान नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक जहां तक इन उप नियमों के असंगत हो, प्रभाव शून्य समझे जायेंगे।

**6— परिभाषा—**

(क)— डेयरी पशु से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं उनकी संतति से है।

(ख)— “दुग्धशाला” से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारु पशुओं को रखा जाता है।

(ग)— “पशु चिकित्सा अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है।

(घ)— “व्यवसायिक डेयरी परिसर” से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहां 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेयरी पशु को रखा गया हो, से है।

(ङ)— “गौशाला” से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवंश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो।

(च)— “अलाभकार पशु” से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस-प्रशासन व नगर निकाय द्वारा गो तस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्रापटी गोवंश से है।

**7—** कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत बृजमनगंज की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेयरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।

**8— अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध—**

(क)— नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत डेयरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेयरी पशु पालने हेतु नगर पंचायत द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख)— नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत डेयरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेयरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर पंचायत के पक्ष में बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ प्रारूप-1 के अनुरूप निर्धारित आवेदन-पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (Non- Refundable) होगा।

(ग)– व्यवसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से नियमानुसार सी0टी0ओ0 (Consent to Operate) प्राप्त कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(घ)– अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत की जायेगी ।

(ङ)– अधिशासी अधिकारी अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेंगे । अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में व्यावसायिक डेयरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप-3 के अनुरूप अनुज्ञा-पत्र निर्गत किया जायेगा ।

(च)– अनुज्ञाधारी व्यवसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा ।

(छ)– अनुज्ञाधारी व्यवसायिक डेयरी परिसर द्वारा स्वयं के डेयरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञा-पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा । निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रु0 500.00 का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा ।

(ज)– नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा अनुज्ञाधारी व्यवसायिक डेयरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा-पत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अनिधियम की धारा-241 (2) एवं धारा 299 के अनुरूप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि रु0 10,000.00 प्रति अपराध तक हो सकेगी ।

(झ)– नगर पंचायत द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 1 (एक) वर्ष हेतु मान्य होगा ।

(ञ)– अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी ।

(ट)– नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यवसायिक डेयरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर पालिका अधिनियम की धारा-241(2) एवं धारा-299 के अनुरूप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रु0 10,000.00 तक हो सकेगा ।

(ठ)– डेयरी पालन के लिए समय-समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेयरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती है व कोई कार्यवाही की जाती है तो पालिका द्वारा अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

9— अनुज्ञापन का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए अनुज्ञप्तिधारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा । अनुज्ञप्ति समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4(ट) के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

10— (क)– इस उपविधि के तहत अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक शुल्क प्रथम बार रु0 500.00 प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में रु0 300.00 प्रतिपशु निर्धारित है ।

(ख)– उत्तर प्रदेश पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गौशाला के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

**11—** उक्त उपविधि के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्—

(क)– प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।

(ख)– पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग)– डेयरी स्वामी को अपनी डेयरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्ति अधिकारी का उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा। कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पादक बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायो गैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(घ)– अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/राज्य पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशु चिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।

**12—** दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेयरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।

**13—** किसी भी डेयरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़को पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर रु0 1,000.00 प्रतिपशु प्रतिदिन के दर से निर्धारित है।

**14—** लेखाजोखा (रिकार्ड) रखना— व्यवसायिक डेयरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखा जोखा रखा जायेगा—

(क)– निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये पशुओं का विवरण।

(ख)– पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।

(ग)– पशुओं के टीकाकरण/टोक्साइड का विवरण।

(घ)– कृमिरोधी दवापान का विवरण।

(ङ)– पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।

(च)– पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।

**15—** कोई भी डेयरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेयरी का निरीक्षण करने के लिए आपत्ति नहीं कर सकता।

**16—** उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने हेतु अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बृजमनगंज, महाराजगंज अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी दशा में पुर्नजीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निस्तारीकरण के एक माह तक होगी।

**17—** यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर पंचायत के पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा।

**14—** पशुओं के लिए जगह BIS के टेबल में दिए गये माप के अनुरूप होगी।

| Type of Animal | Floor space requirement m2 |              | Maximum No. of Animals/pen | Height of shed at cm. |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
|                | Covered Area               | Open Paddock |                            |                       |
| 1              | 2                          | 3            | 4                          | 5                     |
| Bulls          | 12.00                      | 24.00        | 1                          | 175 cm. in            |
| Cows           | 3.50                       | 7.00         | 50                         | Medium and            |
| Buffalos       | 4.00                       | 8.00         | 50                         | Heavy Rainfalls       |
| Down Calves    | 12.00                      | 12.00        | 1                          | and 220 in Dry        |
| Young Calves   | 1.00                       | 2.00         | 30                         | Areas                 |
| Old Heifers    | 2.00                       | 4.00         | 30                         |                       |

| Type of Animal         | Space per animal (cm.) | Total Manger length in a pen for 50 animals | Total water tank length in a pen for 50 animals | Dimensions of manger/tank (cm.) |       |                      |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------|
|                        |                        |                                             |                                                 | Width                           | Depth | Height of Inner wall |
| 1                      | 2                      | 3                                           | 4                                               | 5                               | 6     | 7                    |
| Adult Cattle& Buffalos | 60-75                  | 3,000-3750                                  | 300-375                                         | 60                              | 40    | 50                   |
| Calves                 | 40-50                  | 2,000-2500                                  | 200-250                                         | 40                              | 15    | 20                   |

(ह0) अस्पष्ट  
अध्यक्ष,  
नगर पंचायत बृजमनगंज,  
महाराजगंज।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ओम कमल टेक्नो सिस्टम्स पता- प्लॉट नं-520, उद्योग केन्द्र-2, सैक्टर इकोटेक-3, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 201306 की पाटनर्स शिप डीड दिनांक 11 जून, 2018 को हुई थी, जिसके अनुसार फर्म का नाम मेसर्स ओम कमल टेक्नो सिस्टम्स था, संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 फरवरी, 2025 के अनुसार दोनों साझेदारों ने आपसी सहमती से फर्म का पुराना नाम जो कि मेसर्स ओम कमल टेक्नो सिस्टम्स को बदलकर नया नाम मेसर्स बोकन फोर्ज रख दिया गया है तथा संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 21 फरवरी, 2025 के अनुसार वर्तमान में फर्म का नाम मेसर्स बोकन फोर्ज रहेंगे।

रणजीत,  
साझेदार,  
मेसर्स ओम कमल टेक्नो सिस्टम्स।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० एकाना हॉस्पिटैलिटी एण्ड सर्विसेज, अपोजिट होटल ट्राइडेंट, फतेहाबाद रोड, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री योगेश कुमार, श्रीमती सुलेखा रानी निवासीगण बोदला रोड सिकन्दरा आगरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को संचालन की थी। दिनांक 15 मई, 2026 से श्री कौशलेन्द्र, श्रीमती स्नेहलता, कु० प्रभा कठेरिया फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री योगेश कुमार, श्रीमती सुलेखा रानी, श्री कौशलेन्द्र, श्रीमती स्नेहलता, कु० प्रभा कठेरिया हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

योगेश कुमार,  
साझेदार,  
मे० एकाना हॉस्पिटैलिटी एण्ड सर्विसेज,  
अपोजिट होटल ट्राइडेंट,  
फतेहाबाद रोड, आगरा।

## सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स-बाबा केदार इन्टरप्राइजेज, 829, विकास नगर, कालोनी, खूबपुर

जिला-सीतापुर की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें फर्म की साझेदारी में 03 साझेदार श्री अजीत सिंह, श्री दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी एवं श्रीमती सीमा सिंह साझेदार थे, जिसमे से दिनांक 10 जुलाई, 2026 से फर्म की तृतीय साझेदार श्रीमती सीमा सिंह आपसी सहमति से स्वेच्छापूर्वक निकल गई है तथा इसी दिनांक 10 जुलाई, 2026 से दो नये साझेदार क्रमशः श्री अभिजीत साहू एवं श्री आशीष चतुर्वेदी फर्म की साझेदारी में नये शामिल हो गये हैं। वर्तमान में अजीत सिंह, श्री दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी, श्री अभिजीत साहू एवं श्री आशीष चतुर्वेदी फर्म के साझेदार हैं।

अजीत सिंह  
बाबा केदार इन्टरप्राइजेज  
जिला-सीतापुर।

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जागेश्वर पुत्र राम नारायण है। जो मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या मे अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 235172201 मे मेरा नाम श्री नारायण गुप्ता अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जागेश्वर पुत्र राम नारायण के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जागेश्वर पुत्र राम नारायण,  
सिल्हौला बुजुर्ग, कांधी,  
कानपुर देहात कंधी, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नफीसा पत्नी वाहिद है जो मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0 235289546 में मेरा नाम रबिसा बेगम अहमद अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नफीसा पत्नी वाहिद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नफीसा पत्नी वाहिद,  
रमऊ कानपुर देहात, उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुरुद्ध सविता (Anuruddh Savita) पत्नी रामशंकर है। जोकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या मे अंकित है। त्रुटिवश एल.आई.सी. पॉलिसी सं० 232401369 में मेरा नाम "अनुरुद्धा देवी" अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनुरुद्ध सविता (Anuruddh Savita) पत्नी रामशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनुरुद्ध सविता पत्नी रामशंकर,  
शादीपुर, मंधना, कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विराज अग्रवाल (Viraj Agarwal) पुत्र देवेश अग्रवाल है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 4887 8290 8137 में उसका नाम Darsh Agarwal अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विराज अग्रवाल पुत्र देवेश अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मेघना सर्राफ अग्रवाल पत्नी देवेश अग्रवाल  
बी 49 जे-पार्क महानगर एक्सटेंशन महानगर,  
लखनऊ उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र श्री प्रकाश यादव है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 4670 7454 2536 में उसका नाम सुदीप यादव (SUDEEP YADADV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य यादव (ADITYA YADAV) पुत्र श्री प्रकाश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजु कुमारी,  
बिन्दा, पोस्ट सुराही,  
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुजीत कुमार (SUJIT KUMAR) पुत्र विनोद कुमार (VINOD KUMAR) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 9950 3605 3282 में मेरा नाम सुजीत कुमार पटेल (SUJIT KUMAR PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुजीत कुमार पुत्र विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुजीत कुमार  
ग्राम मीरापुर बसही, पोस्ट कैण्ट,  
तहसील सदर, जिला वाराणसी, यू०पी०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम तनिष्क कुमारी पुत्री राजेश कुमार गुप्ता है। जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है।

त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०- 9367 2728 1060 में उसका नाम तनिष्का गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम तनिष्क कुमारी पुत्री राजेश कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकता स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजेश कुमार गुप्ता,  
पुत्र स्व० चन्द्रशेखर प्रसाद गुप्ता,  
निवासी 25/9 वार्ड नं० 9 शाहकुटी,  
हनुमानपुर, पोस्ट- मुगलसराय, जिला चन्दौली।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम युविका सिंह YUVIKA SINGH पुत्री धर्मेन्द्र कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-8852 2532 2751 में उसका नाम उबीका डी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम युविका सिंह (YUVIKA SINGH) पुत्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सरजू प्रसाद यादव,  
ग्राम व पोस्ट-बाबूगंज, ग्राम कनौजा,  
खुर्द प्रयागराज, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वरुण गोस्वामी पुत्र हरी शंकर गोस्वामी है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 7095 में मेरा नाम सत्यम् गोस्वामी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वरुण गोस्वामी पुत्र हरी शंकर गोस्वामी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

वरुण गोस्वामी पुत्र हरीशंकर गोस्वामी,  
म०सं०-41/36 ए, पतेहपुर बिछुआ,  
जार्जटाउन, सदर, प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ओजस्वी लता (Ojaswi Lata) पुत्री बृजेश चंद्र है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8494 में उसका नाम श्रेया प्रजापति अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ओजस्वी लता पुत्री बृजेश चंद्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लता देवी पत्नी बृजेश चंद्र,  
सुरैचा सिलौधी मेजा प्रयागराज उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म जय माँ कन्स्ट्रक्शन पता- बी022/153-जी विनायका कालोनी, रामबाग, वाराणसी उत्तर प्रदेश-221010 में दो साझेदार केहर सिंह पुत्र स्व० खजान सिंह व जय कुमार पुत्र केहर सिंह निवासीगण ग्राम बेहडा सादात, पोस्ट-ककरौली, जिला-मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश-251316 है, जिसमें केहर सिंह दिनांक 31 मार्च, 2026 को स्वेच्छा से पृथक हो गये है, सारा हिसाब किताब चुकता है। इनके स्थान पर श्रीमती सविता पत्नी जय कुमार निवासिनी ग्राम बेहडा सादात, पोस्ट-ककरौली, जिला-मुजफ्फर नगर उत्तर प्रदेश-251316 को सम्मिलित किया गया है। फर्म के पार्टनरशिप डीड में बदलाव दिनांक 31 मार्च, 2026 के अनुसार दो साझेदार श्री जय कुमार पुत्र श्री केहर सिंह व श्रीमती सविता पत्नी श्री जय कुमार रहेंगे।

जय कुमार,  
साझेदार,  
मेसर्स - जय माँ कन्स्ट्रक्शन  
बी0 22/153-जी विनायका कालोनी,  
रामबाग, वाराणसी उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया गौतम (SHREYA GAUTAM) पुत्री दिनेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 5517 1087 6225 में उसका नाम लूसी ग्रे अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में उसके सही नाम श्रेया गौतम (SHREYA GAUTAM) पुत्री दिनेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिनेश कुमार पुत्र स्व० सुदामा,  
ग्राम नियामतपुर कला, पोस्ट पुरुषोत्तमपुर,  
जनपद मिर्जापुर।

### सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वंशिका सिंह पुत्री आनंद कुमार सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 5587 9026 0209 में उसका नाम अद्विका सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वंशिका सिंह पुत्री आनंद कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आनंद कुमार सिंह पुत्र रामलखन सिंह,  
सरगांव खुर्द डेरापुर तहसील डेरापुर,  
कानपुर देहात, उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रिन्स कुमार (PRINCE KUMAR) पुत्र आलोक कुमार (ALOK KUMAR) जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड

संख्या 2871 2830 2047 में उसका नाम अंश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रिन्स कुमार पुत्र आलोक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आलोक कुमार पुत्र मोहन लाल,  
ग्राम निवाड़ी खुर्द पोस्ट अहेरीपूर,  
तहसील भरथना जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम श्यामक पुत्र अनुपम कुमार है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल०आई०सी० के पॉलिसी संख्या— 314044385 में मेरा नाम स्टैलिन (STALIN) अंकित हो गया है, जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम श्यामक (SHYAMAK) पुत्र अनुपम कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्यामक पुत्र अनुपम कुमार,  
58E/8E सर्कुलर रोड, गंगानगर,  
जिला प्रयागराज, उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऊर्जित सिंह (URJIT SINGH) पुत्र प्रवीण कुमार (PRAVEEN KUMAR) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0346 में उसका नाम बेबी आफ बीना सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऊर्जित सिंह (URJIT SINGH) पुत्र प्रवीण कुमार (PRAVEEN KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवीण कुमार पुत्र देवी सिंह,  
भुपियामऊ प्रतापगढ़, (उ0प्र0)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गीता देवी पुत्री रामकृपाल दिवाकर है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-2770 7511 3379 में मेरा नाम गीता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गीता देवी पुत्री रामकृपाल दिवाकर पत्नी जगदीश प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद,  
ग्राम — पूरब शरीरा, पोस्ट— पूरब शरीरा  
जिला— कौशाम्बी, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ध्रुव गंगवार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गंगवार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6942 9866 6550 में उसका नाम ध्रुवांश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ध्रुव गंगवार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गंगवार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेन्द्र प्रसाद गंगवार,  
पुत्र श्री पुत्तू लाल गंगवार,  
46 गायत्रीपुरी वीरसावरकर नगर बरेली, यू0पी0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मधुबाला जायसवाल (MADHU BALA JAISWAL) पुत्री रामऔतार जायसवाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5460 5063 4635 में मेरा नाम मधु जायसवाल अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मधुबाला जायसवाल, पुत्री रामऔतार जायसवाल, पत्नी आदर्श कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मधुबाला जायसवाल पुत्री रामऔतार जायसवाल,  
पत्नी आदर्श कुमार  
634 बहादुरगंज प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम RASOOL KARAM SIDDIQI पुत्र मो० अफजल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7136 6353 0819 में मेरा नाम RASOOL KARAM SIDDIQI हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम RASOOL KARAM SIDDIQI पुत्र मो० अफजल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण रूप से की गयी है।

RASOOL KARAM SIDDIQI,  
पुत्र मो० अफजल  
चन्द्र भान सिंह का पूरा हथिगन पोस्ट पुरवा,  
खास तहसील करछना, जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आतम प्रकाश पुत्र शिवशंकर है। जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं0 2430 6956 2518 में मेरा नाम कैलाश तिवारी पुत्र शिव शंकर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आतम प्रकाश पुत्र शिवशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आतम प्रकाश पुत्र शिवशंकर,  
ग्राम-किहुनी खुर्द, पोस्ट-पँवारी थाना-खीरी,  
तहसील-कोरांव, जनपद-प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रिया सिंह (PRIYA SINGH) पुत्री दीपक कुमार सिंह (DEEPAK KUMAR SINGH) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9767 8266 2396 में मेरा नाम अपराजिता सिंह (APRAJITA SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रिया सिंह (PRIYA SINGH) पुत्री दीपक कुमार सिंह (DEEPAK KUMAR SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूरी की गई है।

प्रिया सिंह पुत्री दीपक कुमार सिंह  
ग्राम- कान्दी, पोस्ट - सहसों, तहसील-फूलपुर,  
जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम करन कुमार पुत्र अच्छे लाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-6743 0883 1680 में मेरा नाम जुगनू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम करन कुमार पुत्र स्व0 अच्छे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

करन कुमार पुत्र स्व0 अच्छे लाल,  
विजयीपुर, सुरियावां, ज्ञानपुर बीरमपुर,  
संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिव्यांशी प्रजापति (DIVYANSHI PRAJAPATI) पुत्री राजकुमार प्रजापति है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 6214 9858 5508 में उसका नाम रुही प्रजापति (RUHI PRAJAPATI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिव्यांशी प्रजापति पुत्री राजकुमार प्रजापति के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजकुमार प्रजापति, पुत्र स्व० सुन्दरलाल  
म0नं0 85/91 लक्ष्मीपुरवा, पोस्ट अनवरगंज,  
कानपुर नगर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम चन्द्रजीत कुमार (Chandrajeet Kumar) पुत्र रत्नेश कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6259 7435 1910 में उसका नाम चंद्र जित (Chandra Jit) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही चन्द्रजीत कुमार (Chandrajeet Kumar) पुत्र रत्नेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रत्नेश कुमार पुत्र श्याम बिहारी,  
ग्राम-महुली पोस्ट महुली जिला सोनभद्र।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दीपिका यादव DEEPIKA YADAV पुत्री चन्दन सिंह यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9440 में उसका नाम रिया यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीपिका यादव पुत्री चन्दन सिंह यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अर्चना यादव पत्नी चन्दन सिंह यादव  
जारही बरौत बरौत इलाहाबाद उ० प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आदर्श पटेल (Adarsh Patel) पुत्र जय सिंह (Jay Singh) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7069 2229 1676 में उसका नाम अद्राश पटेल (Adrash Patel) अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श पटेल (Adarsh Patel) पुत्र जय सिंह (Jay Singh) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जय सिंह पुत्र सुर्यपाल पटेल,  
ढेलहा, कतरौली फूलपुर इलाहाबाद।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुष्का चौहान पुत्री मन्जीत चौहान है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4061 7215 2621 में उसका नाम बुचनी अंकित है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुष्का चौहान पुत्री मन्जीत चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मन्जीत चौहान  
ग्राम व पो० परसिया थाना-रसड़ा  
जिला-बलिया उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शान श्रीवास्तव (Shaan Srivastava) पुत्र योगेश कुमार श्रीवास्तव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8387 में उसका नाम एश्वर्या श्रीवास्तव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शान श्रीवास्तव पुत्र योगेश कुमार श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संगीता श्रीवास्तव पत्नी योगेश कुमार श्रीवास्तव,  
सिसोटार दियारा सिसोतर बलिया उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० प्रियंका पुत्री सुशील कुमार है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3144 2924 3473 में मेरा नाम प्रियंका अंकित हो

गया है, जो की गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० प्रियंका पुत्री सुशील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कु० प्रियंका पुत्री सुशील कुमार,  
निवासी ग्राम नरहिया बगबना चौकठा,  
नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश।

मुस्तकीम (GULAM MUSTAKEEM) पुत्र गुलाम गौस के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गुलाम गौस  
42 सराय खुल्दाबाद मंडी,  
इलाहाबाद उ०प्र०।

## सूचना

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुषमा देवी पत्नी अमृत लाल है जो मेरे परिवार रजिस्टर, खतौनी, वोटर आई० डी० कार्ड तथा उपजिलाधिकारी के जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3035 3128 7749 में मेरा कुसुम देवी दर्ज है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुषमा देवी पत्नी अमृत लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुषमा देवी,  
ग्राम—शाना नींबी पो० जलालपुर,  
शाना तहसील विकास खण्ड चायल,  
जनपद कौशाम्बी, उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गुलाम मुस्तकीम (GULAM MUSTAKEEM) पुत्र गुलाम गौस है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2621 7717 9006 में उसका नाम गुलस्म मुस्ताकीम (GULSM MUSTAKEEM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गुलाम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष सिंह (KRISH SINGH) पुत्र मनोज सिंह है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5181 2891 7383 में उसका नाम वेद प्रताप सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष सिंह (KRISH SINGH) पुत्र मनोज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मनोज कुमार सिंह पुत्र स्व० रमाशंकर सिंह,  
अजना, जिला— देवरिया, उ०प्र०।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अक्षरा पुत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं पासपोर्ट में अंकित है। विवाहोपरान्त मैंने अपना नाम अक्षरा से बदलकर अक्षरा सक्सेना पुत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव पत्नी अनंत कमल सक्सेना रख लिया है। भविष्य में मुझे अक्षरा सक्सेना पुत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव पत्नी अनंत कमल सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अक्षरा सक्सेना पुत्री मनोज कुमार श्रीवास्तव,  
पत्नी अनंत कमल सक्सेना,  
मकान सं0 237, शिवपुरी नई कालोनी,  
निकट आर्यन अस्पताल,  
रुस्तमपुर, जिला गोरखपुर, उ०प्र०।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रियांशी यादव (PRIYANSHI YADAV) पुत्री सुशील कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 2895 5224 9757 में उसका नाम भूमि यादव (BHUMI YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रियांशी यादव पुत्री सुशील कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुशील कुमार यादव पुत्र स्व० ओम प्रकाश यादव,  
123 बी/12 बी/1 राजापुर जिला प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सैय्यद समीरा (SYED SAMEERA) पुत्री एहतेशाम (EHTESHAM) है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार संख्या 5852 3807 5104 में उसका नाम मेरी अहमद (MARRY AHMAD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सैय्यद समीरा (SYED SAMEERA) पुत्री एहतेशाम (EHTESHAM) के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

हुस्ना बेगम,  
सी.के.65/492 बड़ी पियरी, वाराणसी

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम छोटू प्रजापति (CHHOTU PRAJAPATI) पुत्र संतोष कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2050 0332 7431 में उसका नाम छोटी (CHHOTI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम छोटू प्रजापति (CHHOTU PRAJAPATI) पुत्र संतोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष कुमार,  
ग्राम लठिया कला, शिकारगंज चन्दौली।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हार्दिक पटेल (Hardik Patel) पुत्र पवन कुमार पटेल है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7302 में उसका नाम हार्पिक पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हार्दिक पटेल पुत्र पवन कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवन कुमार पटेल पुत्र कल्लू पटेल,  
एस एच 15/154-2 भरलाई,  
शिवपुर तरना वाराणसी उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तिवारी आयुष लक्ष्मीकांत पुत्र लक्ष्मीकांत तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 8828 8744 8972 में मेरा नाम आयुष तिवारी पुत्र लक्ष्मीकांत तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तिवारी आयुष लक्ष्मीकांत पुत्र लक्ष्मीकांत तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

तिवारी अयुष लक्ष्मीकांत पुत्र लक्ष्मीकांत तिवारी,  
घिसापुर सैदाबाद, हंडिया प्रयागराज।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट के अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र व डी०एड० (स्पेशल एजुकेशन) के सेमेस्टर (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ) अंक पत्र में मेरा नाम कु० संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण द्विवेदी अंकित है तथा RCI सर्टिफिकेट में मेरा नाम MS संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण द्विवेदी अंकित हो गया है CTET के अंकपत्र व प्रमाण पत्र में संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण द्विवेदी अंकित है आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8578 में मेरा नाम संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण कुमार द्विवेदी अंकित हो गया है। उपर्युक्त सभी नाम मेरा ही हैं। भविष्य में मुझे कु० संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण द्विवेदी पत्नी गजानन्द तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० संध्या द्विवेदी पुत्री अरुण द्विवेदी,  
पत्नी गजानन्द तिवारी,  
ग्राम/पो०— पुरसेनी, मोहन लालगंज,  
जिला लखनऊ उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शपथकर्ता की पुत्री का सही नाम लक्ष्मी (LAXMI) है उसके शैक्षिक अभिलेख में जन्म प्रमाण पत्र पर अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 2930 4714 8052 में नाम लक्ष्मी LACHMI अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को सही नाम लक्ष्मी LAXMI पुत्री देवेन्द्र पाण्डेय के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

देवेन्द्र पाण्डेय, पुत्र स्व० प्रभाशंकर पाण्डेय,  
ग्राम व पोस्ट-बिरशाहपुर, मीरजापुर।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रुही मिश्रा पुत्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 5461 9630 7447 में उसका नाम श्रुति मिश्रा हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को सही नाम रुही मिश्रा पुत्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा (RUHI MISHRA D/o JITENDRA KUMAR MISHRA) के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जितेन्द्र कुमार मिश्रा,  
पुत्र स्व० सुरेन्द्र कुमार मिश्रा,  
एल०आई०जी०—30 कौशलेश कुंज कालोनी,  
अयोध्या धाम जिला— अयोध्या (उ०प्र०)।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिखा गोंड (Shikha Gond) पुत्री कमलेश कुमार गोंड है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6582 में उसका नाम मानसी कुमारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिखा गोंड पुत्री कमलेश कुमार गोंड के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण द्वारा पूर्ण गई है।

बबिता देवी पत्नी कमलेश कुमार गोंड,  
कादीपुर कलां कादीपुर वाराणसी उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सोनाक्षी कुमारी (Sonakshi Kumari) पुत्री विनोद कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6916 में उसका नाम बेबी भारद्वाज अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सोनाक्षी कुमारी पुत्री विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विनोद कुमार पुत्र जवाहिर  
सलारपुर रसूलगढ़ सलारपुर सारनाथ,  
वाराणसी उ0प्र0।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फूलकली पत्नी रामकृत है जो मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेख, परिवार रजिस्टर की नकल, खतौनी, निवास प्रमाण पत्र, एवं श्रीमान् उपजिलाधिकारी बारा प्रयागराज की जाँच आख्या में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 6833 0829 0300 में मेरा नाम पार्वती देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फूलकली पत्नी रामकृत के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

फूलकली पत्नी श्री रामकृत,  
ग्राम भीटा पोस्ट भीट थाना घूरपुर,  
तहसील बारा जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम छुटकऊ पुत्र झूरी निषाद है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या मे अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल०आई०सी० पालिसी सं0 233425909 मे मेरा नाम छोटेलाल अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम छुटकऊ पुत्र झूरी निषाद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

छुटकऊ पुत्र झूरी निषाद,  
कालिका देवी मार्ग, गांधी नगर,  
अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लावन्या सिंह पुत्री स्व० दीपेन्द्र सिंह भदौरिया है। जो मेरे आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख मे अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० पॉलिसी सं० 233467840 में मेरा नाम जिया अंकित हो गया है। जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे लावन्या सिंह पुत्री स्व० दीपेन्द्र सिंह भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध मे समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लावन्या सिंह पुत्री स्व० दीपेन्द्र सिंह भदौरिया,  
109/387ए रामकृष्ण नगर कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सूरज कुमार (Sooraj Kumar) पुत्र रामस्वरूप है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 0393 में मेरा नाम सूरज अंकित हो गया है, जोकि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे सूरज कुमार पुत्र रामस्वरूप के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सूरज कुमार पुत्र रामस्वरूप,  
हरलाल निवादा, पलिया बांस खेड़ा,  
कानपुर नगर।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राम कृष्ण सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 3057 3601 8873 में उसका नाम रुद्र सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राम कृष्ण सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह के नाम से जाना पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

भानू प्रताप सिंह पुत्र संत बहादुर सिंह,  
3P-Block कुन्ज विहार यशोदा नगर,  
किदवई नगर कानपुर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता मौर्या (HARSHITA MAURYA) पुत्री नन्द लाल मौर्या (NAND LAL

MAURYA) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 4740 0870 6542 में उसका नाम अंजली अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता मौर्या (HARSHITA MAURYA) पुत्री नन्द लाल मौर्या (NAND LAL MAURYA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नन्द लाल मौर्या पुत्र मूलचन्द  
ग्राम लखनो ज्ञानपुर संत रविदास नगर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अव्यय कुमार उपाध्याय AVYAY KUMAR UPADHYAYA पुत्र अतुल कुमार उपाध्याय है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8933 6391 6673 में मेरा नाम अव्यय उपाध्याय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अव्यय कुमार उपाध्याय AVYAY KUMAR UPADHYAYA पुत्र अतुल कुमार उपाध्याय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अव्यय कुमार उपाध्याय,  
पुत्र अतुल कुमार उपाध्याय,  
75/45 सी०वाई० चिंतामणि रोड, जार्ज टारुन,  
ज्मपद प्रयागराज, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यशेखर सिंह पुत्र सुजीत कुमार सिंह है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8408 9577 7611 में उसका

नाम आर्य अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यशेखर सिंह पुत्र सुजीत कुमार सिंह के नाम से जाना पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुजीत कुमार सिंह पुत्र श्रीपति सिंह,  
सिविल लाइन्स अमहुत, ब्लॉक बस्ती,  
जिला बस्ती।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जीडिगुंटा वी रामा दुर्गा (JEETDIGUNTA V RAMA DURGA) पुत्री जे सुरेन्द्र राव (J SURENDRA RAO) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7320 में मेरा नाम दुर्गा जीडिगुंटा (DURGA JEEDIGUNTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जीडिगुंटा वी रामा दुर्गा (JEETDIGUNTA V RAMA DURGA) पुत्री जे सुरेन्द्र राव (J SURENDRA RAO) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जीडिगुंटा वी रामा दुर्गा,  
पुत्री जीडिगुंटा सुरेन्द्र राव,  
म०नं०-4/ए1/87, मुमुक्षु भवन, लोहिया चौक,  
अस्सी, वाराणसी, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अंशिका अवस्थी (ANSHIKA AWASTHI) पुत्री संजय अवस्थी है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश

मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 6027 5924 8214 में उसका नाम शालिनी अवस्थी (SHALINI AWASTHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अंशिका अवस्थी (ANSHIKA AWASTHI) पुत्री संजय अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय अवस्थी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद अवस्थी,  
ग्राम चिलौला, भंगरिया पोस्ट कल्याणपुर रैली,  
जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

### NOTICE

The public is informed that my daughter's correct name is Palak Singh D/o Rajesh address civil line west Nagar Panchayat chakiya jila Chandauli, which is listed in her educational records. However, my daughter's name is listed as Aradhana (Aradhana) on her Aadhar Card Number 3195 0933 3349, which is incorrect. In the future, my daughter should be known and recognized by her correct name Palak Singh D/o Rajesh It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Rajesh S/o Gopal Chauhan  
Address- Civil Line West,  
Nagar Panchayat Chakiya,  
Dist- Chandauli.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निजाम उददीन (NIZAM UDDIN) पुत्र अमीन उददीन (AMIN UDDIN) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4897 0839 5248 मे मेरा नाम निजामुद्दीन (Nizamuddin) अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य मे मुझे मेरे सही नाम निजाम उददीन (NIZAM UDDIN) पुत्र अमीन उददीन (AMIN UDDIN) के नाम से जाना व पहचाना जायेगा।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

निजाम उददीन पुत्र अमीन उददीन,  
88/324, बराफ खाना, चमनगंज,  
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयान अली (Ayan Ali) पुत्र फरहद अली है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 6110 में उसका नाम अयांश अली अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयान अली पुत्र फरहद अली के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दरकशा परवीन पत्नी फरहद अली,  
मकनियापुरा महोबा महोबा उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयूष कनौजिया (Ayush Kanojiya) पुत्र रिकू है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 7738 में उसका नाम कृष्णा वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयूष कनौजिया पुत्र रिकू के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुमन देवी पत्नी रिकू  
भलीया बुजुर्ग खीरी उ0प्र0।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व शुक्ला (ATHARV SHUKLA) पुत्र दिलीप शुक्ला है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 6021 2532 6304 में उसका नाम शुभ शुक्ला अंकित हो गया है, जो की गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व शुक्ला (ATHARV SHUKLA) पुत्र दिलीप शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिलीप शुक्ला  
448/200 स्थल बाबा गोमतीदास,  
मलिहाबाद रोड, ठाकुरगंज लखनऊ।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शौरवी सिंह (SHAURVI SINGH) पुत्री श्री सुरेश प्रसाद कुशवाहा (SHAURVI SINGH D/o SURESH PRASAD KUSHWAHA) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—XXXX XXXX 4272 में उसका नाम आरना रिद्धि पुत्री सुरेश प्रसाद कुशवाहा हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शौरवी सिंह (SHAURVI SINGH) पुत्री श्री सुरेश प्रसाद कुशवाहा (SHAURVI SINGH D/o SURESH PRASAD KUSHWAHA) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरेश प्रसाद कुशवाहा,  
538/665 त्रिवेणीनगर प्रथम सीतापुर रोड,  
लखनऊ, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम दीप्ति दीक्षित पुत्री गणेश कुमार दीक्षित जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाह के उपरान्त मैंने अपना नाम दीप्ति दीक्षित से बदलकर ज्योति शुक्ला रख लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड व पासपोर्ट में अंकित है। मेरे पिता जी के द्वारा एक म्यूचुअल फण्ड जिसका आवेदन नं०-1085185 फोलिया नं० 515218360762 कंपनी यू०टी०आई० म्यूचुअल फण्ड क्रय किये गये शेयर में मेरा नाम दीप्ति शुक्ला अंकित हो गया है उपरोक्त तीनों नाम मेरे ही हैं, भविष्य में मुझे ज्योति शुक्ला पुत्री गणेश कुमार दीक्षित पत्नी मुकेश कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

ज्योति शुक्ला पुत्री गणेश कुमार दीक्षित,  
पत्नी मुकेश कुमार शुक्ला,  
489/5 रानीगंज डालीगंज निरालानगर,  
लखनऊ, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवान्शु सिंह (SHIVANSHU SINGH) पुत्र अमित राय (AMIT RAI) है जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8797 7082 8065 में उसका नाम काव्याश राय अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवान्शु सिंह (SHIVANSHU SINGH) पुत्र अमित राय (AMIT RAI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आराधना सिंह पत्नी अमित राय,  
सलारपुर रसूलगढ़ वाराणसी।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष सिंह यादव (Krish Singh Yadav) पुत्र महेश चन्द्र यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7116 2182 6360 में उसका नाम कृष्णा सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष सिंह यादव (Krish Singh Yadav) पुत्र महेश चन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

महेश चन्द्र यादव पुत्र सूर्यपाल यादव,  
बलीपुर, सिकन्दरा, प्रयागराज।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या यादव पुत्री धर्मेन्द्र कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8296 में उसका नाम निहारिका यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री उसके सही नाम आर्या यादव पुत्री धर्मेन्द्र कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

धर्मेन्द्र कुमार यादव,  
ग्राम-सुल्तानपुर पोस्ट-बकराबाद  
जनपद-जौनपुर।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामसखा तिवारी पुत्र ओमकार नाथ तिवारी है। जो कि मेरे परिवार रजिस्ट्रर, बिजली बिल, खतौनी एवं

उप जिलाधिकारी जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 1454 में मेरा नाम रामआसरे तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामसखा तिवारी पुत्र ओमकार नाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रामसखा तिवारी पुत्र ओमकार नाथ  
बड़हरी पोस्ट गोरान्ज,  
तहसील—मंझनपुर, कौशाम्बी उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इच्छा सिंह (Iccha Singh) पुत्री संतोष सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2759 में उसका नाम ixchha singh अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इच्छा सिंह पुत्री संतोष सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुसुम सिंह पत्नी संतोष सिंह,  
ग्राम दिखौली पोस्ट बैजापुर दुबेपुर,  
सुल्तानपुर उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम हर्षिता गुप्ता (HARSHITA GUPTA) पुत्री सुमित कुमार कश्यप है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—7754 0599 9329 में उसका नाम दक्षा गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम हर्षिता गुप्ता (HARSHITA GUPTA)

पुत्री सुमित कुमार कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ज्योति गुप्ता पत्नी सुमित कुमार कश्यप,  
एस-4/90-1, ताजपुर अर्दली बाजार,  
जिला वाराणसी, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आंचल मौर्या (ANCHAL MAURYA) पुत्री हृदय नारायण (HRIDAYNARAYAN) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 2597 8572 6417 में उसका नाम अंजली मौर्या अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम आंचल मौर्या (ANCHAL MAURYA) पुत्री हृदय नारायण (HRIDAYNARAYAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हृदय नारायण S/o राजेन्द्र,  
ग्राम बरहूआ पोस्ट सैदपुर चंदौली उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ईशान्वी श्री (ISHANVI SHRI) पुत्री अजित कुमार है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 2975 8299 5037 में मेरा नाम 'जिया ईशान्वी श्री' हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ईशान्वी श्री (ISHANVI SHRI) पुत्री अजित कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं

ईशान्वी श्री पुत्री अजित कुमार  
N8/130A-M-1-S, कैलाशपुरी कॉलोनी,  
नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सचिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9865 में मेरा नाम सचिन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सचिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सचिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार,  
ग्राम व पोस्ट राजापुर सिकरौर सरायमीर,  
तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़ उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शान्तनु उपाध्याय (Shantanu Upadhyay) पुत्र रजनीश कुमार (Rajneesh Kumar) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 8263 में मेरा नाम सुन्दर लाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शान्तनु उपाध्याय पुत्र रजनीश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शान्तनु उपाध्याय पुत्र रजनीश कुमार,  
ग्राम बघोल पोस्ट बहरइचा जारी बाजार,  
तहसील कोरांव जिला प्रयागराज उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रचित गुप्ता (Rachit Gupta) पुत्र गंगा राम गुप्ता है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 8157 में उसका नाम Sarvan Kumar Gupta अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रचित गुप्ता पुत्र गंगा राम गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शंकुतला गुप्ता पत्नी गंगाराम गुप्ता,  
पूरे नीर पूरे लोका अटेहा,  
अथेहा प्रतापगढ़, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम समृद्धि त्रिपाठी (Samridhi Tripathi) पुत्री सर्वेश कुमार त्रिपाठी है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 6161 में उसका नाम सांझली त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम समृद्धि त्रिपाठी पुत्री सर्वेश कुमार त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मीनू त्रिपाठी पत्नी सर्वेश कुमार त्रिपाठी,  
नचना अकोढ़ा करछना अकोरहा,  
प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सान्या विश्वकर्मा (SHANYA

VISHWAKARMA) पुत्री अरविन्द कुमार विश्वकर्मा है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 2062 7267 9121 में उसका नाम पिहू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम सान्या विश्वकर्मा (SHANYA VISHWAKARMA) पुत्री अरविन्द कुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार विश्वकर्मा,  
पुत्र स्व० काली कृष्ण विश्वकर्मा,  
ग्राम भोहर, पोस्ट अमरपट्टी,  
थाना चोलापुर, जिला वाराणसी।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम श्रेष्ठ सिंह (SHRESHTA SINGH) पुत्र उमेश कुमार हैं जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5559 5518 2318 में मेरे पुत्र का नाम श्रेठ सिंह (SRETH SINGH) पुत्र उमेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम श्रेष्ठ सिंह (SHRESHTA SINGH) पुत्र उमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उमेश कुमार पुत्र राम दुलार,  
ग्राम ताजुद्दीनपुर, पोस्ट व थाना थरवर्द,  
जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मनु शुक्ला (MANU SHUKLA) पुत्री अवधेश

चन्द्र शुक्ला (AVDHESH CHANDRA SHUKLA) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 4682 में मेरा नाम शिवांकी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनु शुक्ला (MANU SHUKLA) पुत्री अवधेश चन्द्र शुक्ला (AVDHESH CHANDRA SHUKLA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मनु शुक्ला, पुत्री अवधेश चन्द्र शुक्ला,  
5/781 अहियापुर रायबरेली, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या गुप्ता पुत्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 0406 में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के सुकन्या समृद्धि योजना के खाता सं० 2913281439 में उसका नाम शिवांशी अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या गुप्ता (AARADHYA GUPTA) पुत्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सोनी गुप्ता, पत्नी जितेन्द्र कुमार गुप्ता,  
3/153ए, रामपुर रामनगर भीटी,  
वाराणसी, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्णा बाजपेयी (KRISHNA BAJPAI) पुत्र चन्द्र प्रकाश बाजपेयी है जो कि उसके शैक्षिक

अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 1743 में उसका नाम केश कुमार बाजपेयी (KRESH KUMAR BAJAPAI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्णा बाजपेयी (KRISHNA BAJPAI) पुत्र चन्द्र प्रकाश बाजपेयी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्र प्रकाश बाजपेयी,  
पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार बाजपेयी,  
ग्राम हमीर गॉव, पोस्ट छिवलहा,  
जिला रायबरेली, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में मेरा नाम कु0 प्रीती त्रिपाठी पुत्री अनिल कुमार त्रिपाठी अंकित है। विवाहोपरांत मैंने अपना नाम कु0 प्रीती त्रिपाठी से बदलकर प्रीती तिवारी रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम प्रीती तिवारी से बदल कर प्रिया तिवारी रख लिया है भविष्य में मझे प्रिया तिवारी पुत्री अनिल कुमार त्रिपाठी पत्नी प्रदीप कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रीती तिवारी पुत्री अनिल कुमार त्रिपाठी,  
पत्नी प्रदीप कुमार तिवारी,  
हरिचैर दुबे का पुरा सुल्तानपुर अकबर गारबपुर,  
होलागढ़ प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशी पटेल पुत्री ज्ञान चन्द्र पटेल है। जो कि

मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 3911 में मेरा नाम विधा पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशी पटेल पुत्री ज्ञान चन्द्र पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

खुशी पटेल पुत्री ज्ञान चन्द्र पटेल,  
धौरूपुर, राजपुर, आमघाट, मिर्जापुर, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रणव तिवारी पुत्र सुशील कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 8302 1023 0423 में उसका नाम सेकेंड बाबई ऑफ रंजना अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रणव तिवारी पुत्र सुशील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुशील कुमार दया शंकर तिवारी,  
हरी राम पट्टी उर्फ कटनई,  
कपसा, प्रयागराज, उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बॉबी गुप्ता (Boby Gupta) पुत्र अनिल कुमार गुप्ता है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 2930 में मेरा नाम शशी गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में

मुझे मेरे सही नाम बॉबी गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बॉबी गुप्ता पुत्र अनिल कुमार गुप्ता,  
सिनेमा रोड नियर नई पुनीत मेडिकल स्टोर,  
गोला गोकर्न नाथ खीरी, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रिया सैनी पुत्री स्व0 कृष्ण कुमार सैनी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 3097 9678 5440 में मेरा नाम मिकू सैनी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रिया सैनी पुत्री स्व0 कृष्ण कुमार सैनी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रिया सैनी पुत्री स्व0 कृष्ण कुमार सैनी,  
म0नं0 536/172 मदेयगंज सीतापुर रोड़,  
निराला नगर जनपद लखनऊ।

## सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कौशकी श्रीवास्तव (Kaushaki Srivastava) पुत्री प्रदीप श्रीवास्तव (Pradeep Srivastava) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4565 3992 3510 में मेरा नाम कौशिकी श्रीवास्तव (Kaushiki Srivastava) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कौशकी श्रीवास्तव (Kaushaki Srivastava) पुत्री प्रदीप श्रीवास्तव (Pradeep Srivastava) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कौशकी श्रीवास्तव, पुत्री प्रदीप श्रीवास्तव,  
223/13 शक्ति नगर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र श्रीवास्तव (Rudra Srivastava) पुत्र गौरव श्रीवास्तव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 4996 में उसका नाम शास्वत श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र श्रीवास्तव पुत्र स्व0 गौरव श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मधू श्रीवास्तव पत्नी स्व0 गौरव श्रीवास्तव,  
40/5, कर्म योगी नगर नवीन मंडी,  
गोराबारिक सुल्तानपुर, उ0प्र0।

## सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राज प्रिन्स (RAJ PRINCE) पुत्र राजेश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6196 3017 1061 में उसका नाम प्रिन्स (PRINCE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राज प्रिन्स पुत्र राजेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजेश पुत्र मुन्हा  
16/99, के0 ई0 एम0 हाल,  
फूल बाग सिविल लाइन्स,  
कानपुर नगर, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ध्रुति पाण्डेय (DHRUTI PANDEY) पुत्री भूपेश पाण्डेय (BHUPESH PANDEY) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3057 में उसका नाम शिक्षा पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ध्रुति पाण्डेय (DHRUTI PANDEY) पुत्री भूपेश पाण्डेय (BHUPESH PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं, मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भूपेश पाण्डेय पुत्र कामेश्वर पाण्डेय,  
जगदीशपुर, फूलपुर आजमगढ़, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कृष्णवी गुप्ता (KRISHNAVI GUPTA) पुत्री अभिषेक गुप्ता (ABHISHEK GUPTA) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3782 में उसका नाम कृष्णवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कृष्णवी गुप्ता (KRISHNAVI GUPTA) पुत्री अभिषेक गुप्ता (ABHISHEK GUPTA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शिवानी गुप्ता पत्नी अभिषेक गुप्ता,  
268, A कमला नगर स्टेनली रोड,  
प्रयागराज उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "कोहेनूर राइस मिल", विलेज भटपुरा चक्रपाण, केमरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 31 मार्च, 2025 को अमीरुद्दीन पुत्र अली गोहर रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को मो० आलम पुत्र हाजी छुट्टन शामिल हो गये हैं तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 2025 को शफीक अहमद पुत्र अमीर अहमद का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 2025 को मौ० आलम पुत्र हाजी छुट्टन रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को श्रीमती मुन्नी बेगम पत्नी स्व० शफीक अहमद शामिल हो गयी हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर्ड पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर श्री इकबाल अहमद, श्री रईसुद्दीन, श्री हफीज अहमद, श्री रफीक अहमद, श्रीमती मुन्नी बेगम व श्री मेंहदी हसन रह गये हैं।

इकबाल अहमद,  
पार्टनर

फर्म मेसर्स "कोहेनूर राइस मिल",  
विलेज भटपुरा चक्रपाण, केमरी,  
तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर (यू०पी०)।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रोशन पाठक पुत्र धनीराम पाठक है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9095 में मेरा नाम किशन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रोशन पाठक पुत्र धनीराम पाठक के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रोशन पाठक पुत्र धनीराम पाठक  
महोबा, कहरा, हमीरपुर उ0प्र0।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मानवेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्र प्रकाश सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 3155 में उसका नाम सक्षम सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मानवेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्र प्रकाश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चन्द्र प्रकाश सिंह पुत्र राम प्यारे,  
ग्राम खोइरी पोस्ट सोतीपुर,  
जिला जौनपुर उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मधुरानी पत्नी स्व० गौतम कुमार पाण्डेय है जो मेरे खतौनी, बिजली का बिल, परिवार रजिस्टर, निर्वाचन कार्ड, एवं निवास प्रमाण-पत्र तथा उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार सं० 3372 2346 6525 में मेरा नाम माधुरी पत्नी गौतम कुमार पाण्डेय हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मधुरानी पत्नी स्व० गौतम कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

मधुरानी  
सराय चौहान, जौनपुर उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इसन्वी सोनकर (ISANVI SONKAR) पुत्री स्व० संदीप सोनकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4184 3812 1170 में उसका नाम कनक

सोनकर (KANAK SONKAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इसन्वी सोनकर (ISANVI SONKAR) पुत्री स्व० संदीप सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संगीता सोनकर पत्नी स्व० संदीप सोनकर,  
जाखामई, तिवारीपुर, मानिकपुर गढ़ी,  
मानिकपुर, प्रतापगढ़, उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निधि श्रीवास्तव पुत्री मदन मोहन सिन्हा है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे शेयर एक्सिस बैंक में जो कि पहले यू०टी०आई०बैंक लिमिटेड के नाम से शेयर था जिसका सिर्टफिकेट नं० 266087 एवं फोलियों नं० यू०टी०आई० 062093 है। जिसमें मेरा नाम निधि अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा सही नाम निधि श्रीवास्तव पुत्री मदन मोहन सिन्हा पत्नी आकाश दीप 62ई, एलनगंज, प्रयागराज के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

निधि श्रीवास्तव पत्नी आकाश दीप,  
62ई, एलनगंज, जनपद प्रयागराज।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोरक्ष कंस्ट्रक्शन, ग्राम चुरेब, पोस्ट मीरगंज खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, उ०प्र० नामक फर्म मे साझेदारी डीड दिनांक 07 जुलाई, 2023 से श्री सूर्य सेन एवं श्री रुपेश शुक्ल जी साझेदार थे यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स

गोरखपुर में पंजीकरण SKN/0015701 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 02 अगस्त, 2024 से श्री दिनेश कुमार मिश्र जी उक्त फर्म में तृतीया साझेदार के रूप में शामिल हुए थे तथा साझेदारी डीड दिनांक 05 मई, 2026 को श्री दिनेश कुमार मिश्र जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री सूर्य सेन एवं श्री रुपेश शुक्ल जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

सूर्य सेन,  
साझेदार,  
मेसर्स गोरक्ष कंस्ट्रक्शन, ग्राम चुरेब,  
पोस्ट मीरगंज खलीलाबाद,  
जनपद संतकबीरनगर ऊ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० सी०डी० एण्टरप्राइजेज, 38बी/1 डी/13 एफ, विष्णु विहार कॉलोनी, ग्वालियर रोड, सेवला सराय, नैनाना ब्राह्मण जिला-आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री दिगम्बर सिंह एवं श्रीमती ऊषा चित्तौड़ हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक-25 फरवरी, 2010 को संचालन की थी। दिनांक-17 जून, 2026 को श्रीमती ऊषा चित्तौड़ फर्म से पृथक हो गयी हैं तथा दिनांक-17 जून, 2026 को श्रीमती वर्षा सिंह एवं श्रीमती नीलू रानी सिंह फर्म में सम्मिलित हो गयी है। फर्म के पुराने पते 38/189 गोपाल पुरा, ग्वालियर रोड, जिला-आगरा को परिवर्तित कर नया पता मे० सी०डी० एण्टरप्राइजेज, 38बी/1 डी/13 एफ, विष्णु विहार कॉलोनी, ग्वालियर रोड, सेवला सराय, नैनाना ब्राह्मण जिला-आगरा कर दिया गया है। अब फर्म को श्री दिगम्बर सिंह, श्रीमती वर्षा सिंह एवं श्रीमती नीलू रानी सिंह हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

दिगम्बर सिंह,  
साझेदार,  
मे० सी०डी० एण्टरप्राइजेज,  
38बी/1 डी/13 एफ, विष्णु विहार कॉलोनी,  
ग्वालियर रोड, सेवला सराय,  
नैनाना ब्राह्मण जिला-आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० आकांक्षा इन्फ्राटैक, 83 नेहरू नगर, आगरा-282002 परिवर्तित पता-शॉप नं०-2, 2 फ्लोर, 57/2 कावेरी सेन्टर, संजय प्लेस, आगरा-282002 जिसकी पत्रावली संख्या एजीआर-0003414 है। दिनांक 14 अप्रैल, 2019 से फर्म में श्रीमती सीमा गोयल, श्री शिवम गोयल, तथा श्रीमती आकांक्षा गोयल भागीदार थे। किन्तु दिनांक 24 अप्रैल, 2021 से श्री आकांक्षा गोयल पत्नी श्री शिवम गोयल निवासी-106 नेहरू नगर, आगरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है। दिनांक 22 मार्च, 2022 को श्री विकास कुमार पुत्र श्री सतीशचन्द्र यादव निवासी-27 उडेसर हाउस, चर्च रोड, आगरा को फर्म की भागीदारी में शामिल कर लिया गया हैं तथा उक्त दिनांक को ही श्रीमती सीमा गोयल पत्नी श्री सतीश कुमार गोयल निवासी-106 नेहरू नगर, आगरा फर्म की भागीदारी से स्वेच्छा से अलग हो गई है। दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्री सतीश कुमार गोयल पुत्र स्व० श्री कैलाश चन्द्र गोयल निवासी- 83 नेहरू नगर, आगरा को फर्म की भागीदारी में शामिल कर लिया गया हैं तथा उक्त दिनांक को ही श्री विकास कुमार पुत्र श्री सतीशचन्द्र यादव निवासी- उपरोक्त फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से हट गये है। संशोधित भागीदार डीडों के अनुसार अब फर्म में श्री शिवम गोयल तथा श्री सतीश कुमार गोयल 02 भागीदार हैं।

शिवम गोयल,  
भागीदार,  
मे० आकांक्षा इन्फ्राटैक,  
83 नेहरू नगर, आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस० एस० राइस इण्डस्ट्रीज पता विलेज मुडिया हाफिज़ धौरा टांडा, जिला बरेली उत्तर प्रदेश-243202 जिसकी पंजीकरण सं०-BAR/0005864 है। दिनांक 19

अगस्त, 2025 को उक्त फर्म में दो साझेदार श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री अब्दुल्ला व मोहम्मद सालीम पुत्र श्री शफीक अहमद स्वेच्छा से व अन्य साझेदारों की सहमति से सम्मिलित हो गये हैं। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल सात साझेदार कमशः 1-शफीक अहमद 2-मोहम्मद परवेज 3-अब्दुल माजिद 4-इफितखार अहमद 5-फहीम अहमद 6-अब्दुल रहमान 7-मोहम्मद सालीम है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारितायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

शफीक अहमद,  
साझेदार,  
मेसर्स एस० एस० राईस इण्डस्ट्रीज,  
विलेज मुडिया हाफिज धौरा टांडा,  
जिला बरेली उत्तर प्रदेश।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रहीम राईस मिल, ग्राम लाला नगला केमरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को अखलाक अहमद पुत्र श्री कल्लन अहमद शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में आठ पार्टनर श्री सलीम अहमद, श्रीमती शबाना जलाल, श्री अमीर अहमद, श्रीमती अफसरी बेगम, श्री मजीद अहमद, श्री इशाकुल नबी, श्रीमती अफसाना, श्री अखलाक अहमद हो गये हैं।

सलीम अहमद,  
पार्टनर  
फर्म मेसर्स "रहीम राईस मिल",  
ग्राम लाला नगला केमरी, तहसील बिलासपुर,  
जिला रामपुर (यू०पी०)।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s LAVI SECURITY AND HR SERVICES, H.No 305/7,

Jagriti Vihar, Garh Road, L.L.R.M., Meerut UP 250004 की साझीदारीनामा दिनांक 01 सितम्बर, 2025 के अनुसार Pooja Chaudhary, Pradeep Kumar and Mohd Kamil Khan साझीदार थे। संशोधित साझीदारीनामा दिनांक: 01 जून, 2026 के अनुसार Mohd Kamil Khan साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग होने के उपरान्त वर्तमान में Pooja Chaudhary and Pradeep Kumar साझीदार है।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

पूजा चौधरी,  
साझीदार,  
M/s LAVI SECURITY AND HR SERVICES,  
H.No 305/7, Jagriti Vihar,  
Garh Road, L.L.R.M., Meerut UP.

### सूचना

सूचित किया जाता है कि M/s SHREE TIRUPATI MOTORS, 7/17 (2), TILAK NAGAR KANPUR NAGAR-208001, दिनांक 25 अप्रैल, 2026 से फर्म में Manish Gupta S/o Late Inder Narain Gupta R/o 2A/223 Azad Nagar, Kanpur-208002 अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित हो गये हैं।

दिनांक 25 अप्रैल, 2026 से फर्म के साझीदार निम्नवत है।

1. Seema Gupta W/o Shri Manish Gupta R/o 2A/223 Azad Nagar, Kanpur-208002
2. Vimla Gupta W/o Shri Nitin Gupta R/o 16/95 The Mall, Kanpur-208001
3. Manish Gupta S/o Late Indra Narain Gupta R/o 2A/223 Azad Nagar, Kanpur-208002

विमला गुप्ता,  
साझीदार,  
M/s SHREE TIRUPATI MOTORS,  
7/17 (2), TILAK NAGAR,  
KANPUR NAGAR.

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० अलुनिका पैकेजिंग, अपोजिट कृष्णा टाकीज, सादाबाद, हाथरस-281306 का पत्रावली संख्या-HAT-0001290 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से श्री अविराग बिरला, श्रीमती सोनी बिरला तथा हर्षिता शर्मा पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को हर्षिता शर्मा पुत्री श्री प्रदीप शर्मा निवासी- 801 अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, न्यू दिल्ली फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। वर्तमान में अविराग बिरला तथा श्रीमती सोनी 2 ही हिस्सेदार रहेंगे।

अविराग बिरला  
साझेदार,  
मे० अलुनिका पैकेजिंग,  
अपोजिट कृष्णा टाकीज, सादाबाद, हाथरस।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० द्वारिका दास जगन्नाथ दास भारत पेट्रोलियम डीलर्स, भूतेश्वर रोड, मथुरा उ०प्र०-281001 का पत्रावली संख्या-AG-15149 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 25 सितम्बर, 2019 से कृष्णा दास, श्री राहुल मित्तल, श्री विष्णु कुमार तथा श्री किशोर कुमार पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार दिनांक-18 दिसम्बर, 2025 को विष्णु कुमार पुत्र स्व० टीकम दास निवासी-46-2 महाविद्या कॉलोनी, फेस-2, मथुरा की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 01 जुलाई, 2026 को श्रीमती रजनी नगरानी पत्नी श्री विष्णु कुमार नगरानी निवासी-ए-46, 2 फेस, महाविद्या कॉलोनी, मथुरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में श्री कृष्णा दास, श्री राहुल मित्तल, श्री किशोर कुमार तथा श्रीमती रजनी नगरानी 4 ही हिस्सेदार रहेंगे।

कृष्णा दास,  
साझेदार,  
मे० द्वारिका दास जगन्नाथ दास,  
भारत पेट्रोलियम डीलर्स, भूतेश्वर रोड,  
मथुरा, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० आकाशदीप पॉटरी, ग्राम सैलई, फिरोजाबाद-283203 का पत्रावली संख्या-FIR-0018041 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 02 अप्रैल, 2025 से श्री मधुर कुमार चतुर्वेदी, श्री नितिन मित्तल, श्रीमती नीशू अग्रवाल, श्री श्रेयांस अग्रवाल, श्रीमती बीनू जैन तथा श्री संभव जैन पार्टनर थे। संशोधित डीड के अनुसार दिनांक 01 जून, 2026 को मधुर कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रभास चन्द्र चतुर्वेदी निवासी-मौहल्ला दुली, फिरोजाबाद फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में श्री नितिन मित्तल, श्रीमती नीशू अग्रवाल, श्री श्रेयांस अग्रवाल, श्रीमती बीनू जैन तथा श्री संभव 5 ही हिस्सेदार रहेंगे।

नितिन मित्तल,  
साझेदार,  
मे० आकाशदीप पॉटरी,  
ग्राम सैलई, फिरोजाबाद।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० अग्रवालस कन्स्ट्रक्शन, 2/2103 स्वर्ण जयन्ती नगर, गोविला गैस वाली गली, अपोजिट गुरुकृपा अपार्टमेंट, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 जिसकी पत्रावली संख्या-एएलआई-0024953 है। दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 से उपरोक्त फर्म में श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय कुमार गोयल, श्रीमती गौरी अग्रवाल तथा श्रीमती नीता गोयल भागीदार थे। संशो० भागी० डीड दिनांक-26 मार्च, 2026 को श्रीमती गौरी अग्रवाल पत्नी श्री सेतु अग्रवाल तथा श्रीमती नीता गोयल पत्नी श्री संजय कुमार गोयल उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है। तथा दिनांक 26 मार्च, 2026 को ही श्री सुमित कुमार पुत्र स्व० चन्द्र शेखर तथा श्रीमती आकांक्षा गुप्ता पत्नी श्री सुमित कुमार को फर्म की साझेदारी में शामिल कर लिया

गया है। अब फर्म में श्री राजीव अग्रवाल, श्री संजय कुमार गोयल, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती आकांक्षा गुप्ता भागीदार हो गये हैं।

राजीव अग्रवाल,  
भागीदार  
मे० अग्रवाल्स कन्स्ट्रक्शन,  
2/2103 स्वर्ण जयन्ती नगर,  
गोविला गैस वाली गली,  
अपोजिट गुरुकृपा अपार्टमेंट,  
रामघाट रोड, अलीगढ़।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० ऑल इण्डिया इन्फ्रा बिल्डवैल, शॉप नं०-2, IIInd फ्लोर, कावेरी सेन्टर, संजय प्लेस, आगरा-282002 जिसकी पत्रावली संख्या- एजीआर- 0012643 है में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से श्री विकास कुमार पुत्र श्री सतीश चन्द्र यादव निवासी- 27 उडेसर हाउस, चर्च रोड, आगरा उक्त फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा उक्त दिनांक को ही सतीश कुमार गोयल पुत्र स्व० कैलाशचन्द्र गोयल निवासी-83 नेहरू नगर, आगरा फर्म में शामिल हुये हैं, अब फर्म में श्री शिवम गोयल, श्री सतीश कुमार गोयल भागीदार हैं।

शिवम गोयल,  
भागीदार,  
मे० ऑल इण्डिया इन्फ्रा बिल्डवैल,  
शॉप नं०-2, IIInd फ्लोर, कावेरी सेन्टर,  
संजय प्लेस, आगरा।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यशपाल सिंह सर्विसेस, 30 ए, निकट काली मन्दिर, बेतियाहाता, जनपद गोरखपुर, उ०प्र० नामक फर्म में

साझेदारी डीड दिनांक 11 मार्च, 2015 से श्री चन्द्रिका सिंह, श्री यशपाल सिंह व श्री इन्द्रपाल सिंह एवं उर्मिला सिंह जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्मस सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण सं G-4269 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 03 जुलाई, 2026 से श्री इन्द्रपाल सिंह एवं उर्मिला सिंह उक्त फर्म से अपना हक व हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री चन्द्रिका सिंह एवं श्री यशपाल सिंह जी हैं। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

चन्द्रिका सिंह,  
साझेदार,  
मेसर्स यशपाल सिंह सर्विसेस,  
30 ए, निकट काली मन्दिर, बेतियाहाता,  
जनपद गोरखपुर उ०प्र०।

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० पी०वी०आर० फास्ट्रैक, 25, राधा-विहार कॉलोनी, शालीमार रोड, कोसीकलां जिला मथुरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री विरेन्द्र पाल तोमर, श्री प्रशान्त तोमर, श्री रोहित सिंह निवासीगण कोसीकलां, जिला मथुरा हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 26 जुलाई, 2025 को संचालन की थी। दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को अपनी स्वेच्छा से हम सभी साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी वकाया नहीं है और न ही हम सभी साझेदारों में कोई मतभेद है।

विरेन्द्र पाल तोमर,  
साझेदार,  
मे० पी०वी०आर० फास्ट्रैक,  
25, राधा-विहार कॉलोनी, शालीमार रोड,  
कोसीकलां जिला मथुरा, उ०प्र०।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व साहू (Atharv Sahu) पुत्र मनीष साहू है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 5574 9823 2979 में अथौव साहू (Athrav Sahu) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व साहू (Atharv Sahu) पुत्र मनीष साहू के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनीष साहू,  
14/3, लेबर कालोनी,  
गोविन्द नगर कानपुर, उ0प्र0।

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परिधि सिंह पुत्री राजेश सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0 3342 2734 9731 में उसका नाम लक्ष्मी सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परिधि सिंह पुत्री राजेश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राजेश सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह,  
संदहा, डोमनपुर, चिरईगांव वाराणसी।